

हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में एक साथ

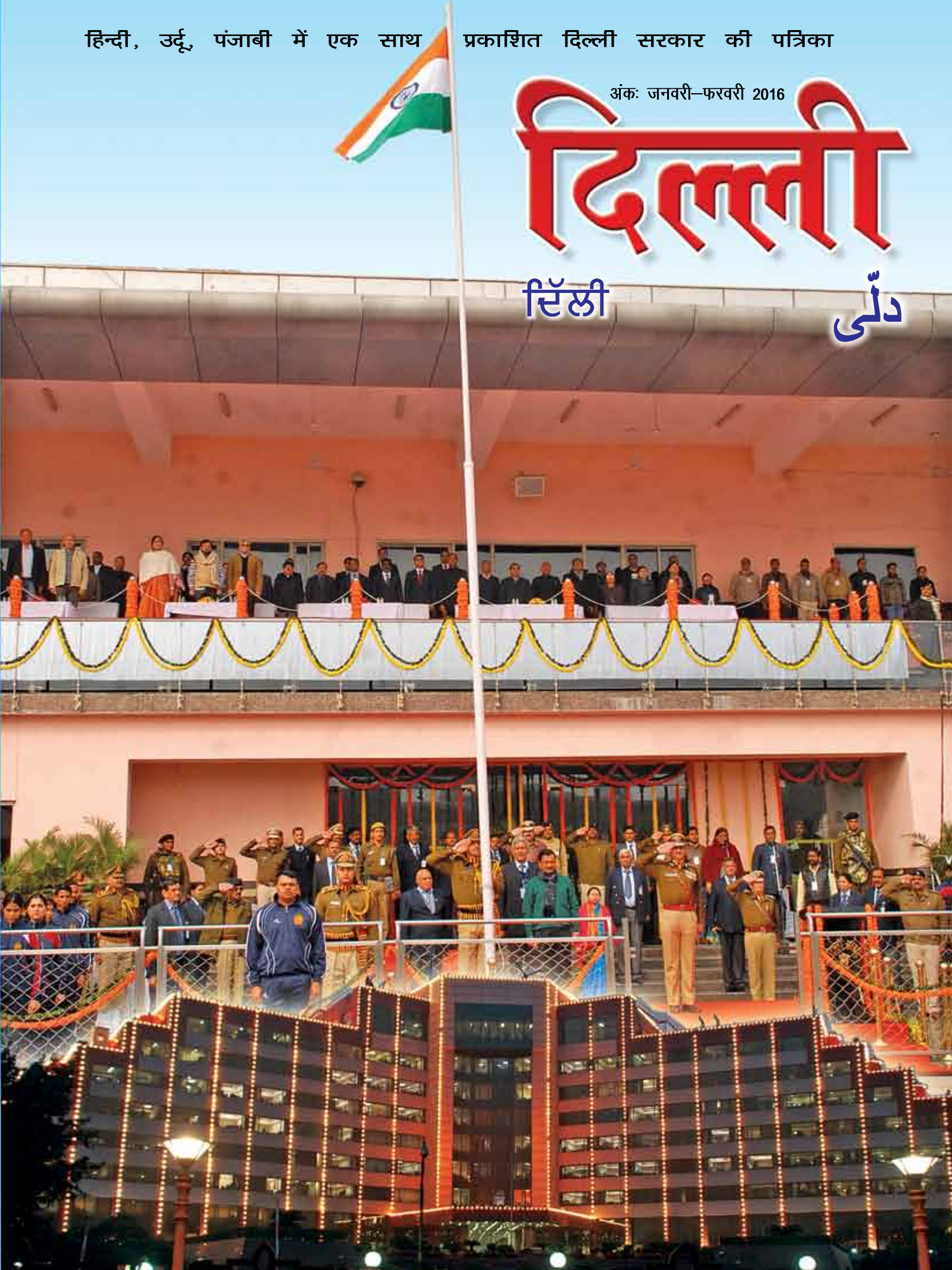
प्रकाशित दिल्ली सरकार की पत्रिका

अंक: जनवरी-फरवरी 2016

दिल्ली

रिंली

दली



नए साल की शुभकामनाएँ!

खेतों की मेड़ों पर धूल भरे पाँव को
कुहरे में लिपटे उस छोटे से गाँव को
नए साल की शुभकामनाएं !

जाँते के गीतों को बैलों की चाल को
करघे को कोल्हू को मछुओं के जाल को
नए साल की शुभकामनाएँ !

इस पकती रोटी को बच्चों के शोर को
चौंके की गुनगुन को चूल्हे की भोर को
नए साल की शुभकामनाएँ !

वीराने जंगल को तारों को रात को
ठंडी दो बंदूकों में घर की बात को
नए साल की शुभकामनाएँ !

इस चलती आँधी में हर बिखरे बाल को
सिगरेट की लाशों पर फूलों से ख्याल को
नए साल की शुभकामनाएँ !

कोट के गुलाब और जूड़े के फूल को
हर नन्ही याद को हर छोटी भूल को
नए साल की शुभकामनाएँ !

उनको, जिनने चुन-चुनकर ग्रीटिंग कार्ड लिखे
उनको जो अपने गमले में चुपचाप दिखे
नए साल की शुभकामनाएँ !

-सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

दिल्ली

अंक : जनवरी-फरवरी 2016

प्रधान सम्पादक
सज्जन सिंह यादव
अतिरिक्त निदेशक
संदीप मिश्र

सम्पादक
डॉ. पंकज श्रीवास्तव

सम्पादकीय सहयोग
नलिन चौहान
कंचन आजाद, विनोद गुप्ता
चन्दन कुमार, अमित कुमार
मनीष कुमार, उर्मिला बेनिवाल

छाया चित्र

सुधीर कुमार, अजय कुमार, योगेश जोशी

“दिल्ली” पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं
में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के
अपने हैं तथा दिल्ली सरकार का इनसे
सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्राचार का पता

प्रधान सम्पादक

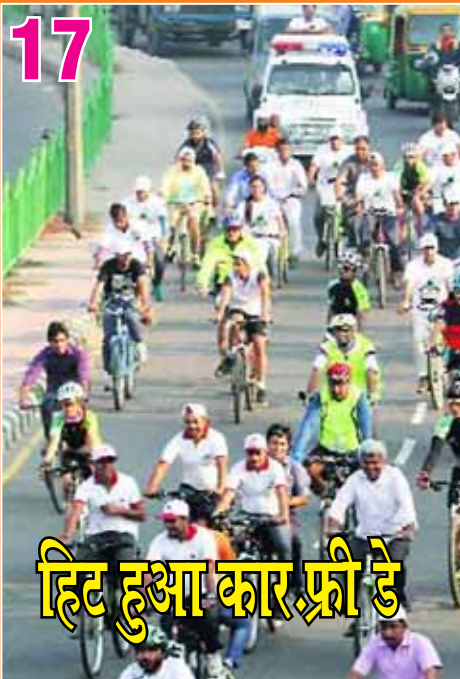
दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय
दिल्ली सरकार

खंड सं. 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दूरभाष : 23819046, 23817926

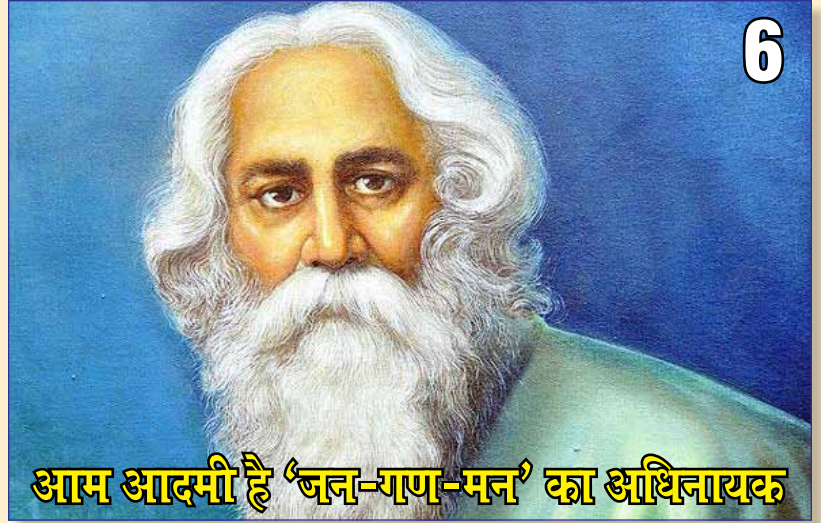
फैक्स : 23814081

ई-मेल : delhidip@gmail.com



हिट हुआ कार.फ्री डे

6



इस अंक में...

हिन्दी

‘ऑड-इवन’ की अग्नि परीक्षा में खरी उतरी दिल्ली!	2
भ्रष्टाचार के खिलाफ तेज़ हुई जंग	8
पढ़ना होगा! पढ़ाना होगा! बदलेगी फ़ैल न करें की नीति!	6
नर्सरी से ‘मैनेजमेंट कोटा खत्म	12
दिल्ली वालों को मिला तय वक्त में सेवा पाने का अधिकार!	14
हिंदी को दोयम दर्जे का मानना बंद करना होगा	16
दहेज के खिलाफ ‘आप’ की सरकार	19
जस्टिस खेत्रपाल बनीं दिल्ली की लोकायुक्त	20
दिल्ली की सरहद पर वेट की आँख!	23
2016 में ‘सिग्नेचर ब्रिज’ का तोहफ़ा	24
दिल्ली के अस्पतालों में सभी दवाएँ मुफ़्त!	26
26 जनवरी, शान हमारी!	28

पंजाबी

‘आड-ਈਵਨ’ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ !	1
ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ‘ਜਨ-ਗਣ-ਮਨ’ ਦਾ ਅਧਿਨਾਯਕ	5
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜੰਗ-ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਂ ਪਾਸ !	7
ਪੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ਪੜਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ਬਦਲੇਗੀ ਫੈਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ !	9
ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ‘ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ’ ਖਤਮ	11
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੈਅ ਵਕਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ !	13

उर्दू

1..... طاق-جفت کی سخت آزمائش میں کھری اتری دہلی
5..... عام آدمی ہے جن-گن-من-کا ادھینا یک
7..... بدعنوانی کے خلاف تیز ہوئی جنگ
پڑھنا ہوگا - پڑھانا ہوگا
9..... بدلے کی فیل نہ کرنے کی پالیسی
11..... نرسری سے منجمٹ کوٹا ختم
دہلی والوں کو ملاط وقت میں
13..... خدمت پانے کا حق



‘ऑड-इवन’ की अग्नि परीक्षा में खरी उतरी दिल्ली!

नये साल की शुरुआत के साथ दिल्ली एक अग्निपरीक्षा से गुजरी। यह परीक्षा थी ऑड-इवन फार्मूले की जिसमें दिल्ली पूरी तरह खरी साबित हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि इस योजना की कामयाबी का पूरा दारोमदार दिल्ली की जनता पर है और उन्हें निराश नहीं होना पड़ा।

बढ़ते प्रदूषण और सड़कों पर अक्सर लगने वाले लंबे जाम से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह महात्वाकांक्षी प्रयोग करने का फैसला किया था। इसके लिए महीने की 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को ऑड नंबर वाली गड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत दी गई। इसी तरह महीने की 2, 4, 6, 8, 10,

12 और 14 तारीख को इवन नंबर वाली गड़ियों को। रविवार को सभी गड़ियों को सड़कों पर निकलने की छूट थी। यानि प्रयोग के दौरान आम दिनों के मुकाबले आधी ही गड़ियाँ सड़कों पर उतरीं। नतीजा जाम कम लगा और प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट आई।

दिल्ली की विशिष्ट स्थिति को समझते हुए सरकार ने अति विशिष्ट लोगों के साथ-साथ कुछ और श्रेणियों में भी छूट दी थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इससे बाहर रख गया था। मुख्यमंत्री केजरीवाल, परिवहन मंत्री गोपाल राय और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ कार पूल करते नजर आये तो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचे। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्र मोटरसाइकिल से पहुंचे तो समाज कल्याण

दिल्ली ने पेश की नज़ीर - गोपाल राय



दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि 'ऑड-इवन' योजना को कामयाब बनाकर दिल्ली के लोगों ने एक नज़ीर पेश की है। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल देश के कई दूसरे शहर भी करने जा रहे हैं। विपक्ष ने इसे लेकर खूब अटकलें लगाई थीं, लेकिन चौंकाने वाले नतीजे मिले। साबित हुआ कि यह प्रदूषण कम करने का कारगर तरीका हो सकता है, साथ ही सड़क यातायात भी बेहतर हो सकता है। लोग इस दौरान पहल के मुकाबले आधे वक्त में अपनी मंजलि तक पहुंचने में कामयाब हुए।

मंत्री संदीप कुमरा ने बस से सफर किया। पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ई-रिक्शा से दफ्तर पहुंचे।

सरकार ने पहले चरण में इसे 1 से 15 तारीख के बीच सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच लागू किया। सरकार ने लोगों को परेशानी से बचाने के लिए 3 हजार अतिरिक्त बसें उतारी थीं, साथ ही मेट्रो से भी फेरे बढ़ाने का अनुरोध किया था। फिर भी तमाम आशंकाएँ जाहिर की जा रही थी। शुरुआत में तीन दिन जब यह योजना सफल रही

तो कहा गया कि 4 जनवरी यानी सोमवार को जब दफ्तर खुलेंगे तो सारी तैयारियां चरमरा जाएंगी। लेकिन उस दिन भी दिल्ली सहज भाव से चलती रही।

4 जनवरी को कुल 22.8 लाख पैसेंजरों ने मेट्रो से सफर किया जो कि पिछले सोमवार के मुकाबले करीब दो लाख ज्यादा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसके लिए दिल्ली की जनता को बार-बार धन्यवाद दिया जिसने प्रदूषण के खतरे को समझते हुए इस योजना को सफल बनाने



प्रदूषण से दिल्ली में रोज़ाना 80 लोगों की मौत

ऑड-इवन फार्मूले की सफलता ने प्रदूषण की रोकथाम को लेकर नई आस जगाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट ने पिछले साल दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया था। रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 से 30,000 तक सालाना मौतों की असल वजह दिल्ली का प्रदूषण है।

डब्ल्यूएचओ ने दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की थी जिसमें 13 भारत के शहर हैं। इनमें राजधानी दिल्ली सबसे ऊपर है। इसके बाद पटना, रायपुर और ग्वालियर का नंबर आता है। इसके अलावा पाकिस्तान के तीन, बांग्लादेश के दो, कतर का एक और ईरान का एक-एक शहर भी इस सूची में था।

इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में अधिकतर मौतें दिल की बीमारी और स्ट्रोक के कारण होती हैं। दिल्ली की हवा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 की मात्रा प्रति घन मीटर 150 माइक्रोग्राम है। यह निर्धारित सीमा का चार गुना और डब्ल्यूएचओ की तय सीमा का 15 गुना है। रिपोर्ट के अनुसार पीएम 2.5 पर काबू पा कर दिल्ली में प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों को 45 से 85 फीसदी तक कम किया जा सकता है।

दुनिया भर में वायु प्रदूषण का ब्योरा लेती इस रिपोर्ट में चीन और भारत पर खास ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार यदि पूरी दुनिया विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंडों के अनुरूप प्रदूषण के स्तर को कम करे, तो हर साल 21 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। मौजूदा मृत्यु दर को बरकरार रखने के लिए भारत और चीन को पीएम 2.5 की मात्रा 20 से 30 फीसदी घटानी होगी। हालांकि इसके बाद भी ये दोनों देश डब्ल्यूएचओ की तय सीमा तक नहीं पहुंच पाएंगे। रिपोर्ट के मुख्य लेखक और टेक्सास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जोशुआ आप्टे का कहना है, "इन देशों की आबादी बूढ़ी हो रही है, इसलिए वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों का असर और भी गहरा होगा।"



में पूरा सहयोग दिया। यही नहीं, इस योजना ने जनता के बीच अपने शहर को लेकर एक भावनात्मक उफान भी देखने को मिला। बच्चों से लेकर आम लोग तक इस योजना में सहयोग देने की अपील करते नजर आये। बहुत दिन बाद किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की जिस पर घर-घर बहस हुई और मान गया कि यह आम जनता और दिल्ली की बेहतरी के लिए है। 'कार-पूलिंग' के विचार ने सामुदायिकता की भावना को भी बढ़ाया। लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ तालमेल बनाने की जरूरत महसूस की जो महानगरीय जीवन में कमजोर पड़ता जा रहा है।

15 दिनों के इस अभियान के बीच प्रदूषण घटने के संकेत साफ तौर पर मिले। खासतौर पर अंदरूनी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार नजर आया। सबसे खतरनाक प्रदूषक पीएम 2.5 में काफी कमी आई। माना जाता है कि अगर ठंड और कोहरे का मौसम न होता तो प्रदूषण और भी तेजी से कम होता। वहीं पर्यावरणविदों

का मानना है कि दिल्ली सरकार ने अगर यह स्कीम नहीं शुरू की होती तो जनवरी में हालात भयावह हो गये होते।

इस स्कीम को रोकने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था, लेकिन माननीय अदालत ने इस योजना में दखल देने से इंकार कर दिया।

गौरतलब है कि चीन की राजधानी बीजिंग में ऑड-इवन वाली ट्रैफिक व्यवस्था 2008 से ही लागू है। चीन में इसे कुछ-कुछ अंतराल पर लागू किया जाता है। मसलन जब बीजिंग में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है तो इस नियम को लागू किया जाता है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की तोहमत झेल रही दिल्ली में ऐसे किसी अभिवन प्रयोग की सख्त जरूरत थी जिसे केजरीवाल सरकार ने किया। जनता से मिला सहयोग बताता है कि वह ऐसे तमाम प्रयोगों के लिए तैयार है जो दिल्ली की प्रदूषित हो चुकी आबो हवा को पूरी तरह बदल सके। ■

फ़ेसबुक पर कुछ नामी हस्तियों की प्रतिक्रियाएँ—

1. **ओम थानवी** (पूर्व संपादक, जनसत्ता)—यह तो मजा हो गया। वसुंधरा से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर 30 मिनट में ! सोमवार को। 10.20 पर निकला, 10.50 पर आइआइसी। न मयूर विहार पर फँसा, न अक्षरधाम, प्रगति मैदान या इंडिया गेट पर। बस हाईकोर्ट के सामने भीड़ थी, जो सड़क पर पार्क गाडीयों की वजह से वहाँ हमेशा रहती है। बहरहाल। तो भाइयो, कौन दिलजला था जो कहता था कि सोमवार को पता चलेगा ? पता चल चुका। उसे यह पोस्ट (सहिष्णुता से) पढ़वा कर उसकी जबान को लगाम सुझाओ।
2. **विनोद दुआ** (वरिष्ठ पत्रकार)—मैं दोपहर से दिल्ली की सड़कों पर घूम रहा हूँ। ऑड-इवन फार्मूला पूरी तरह सफल है। जरूरत इस बात की है कि पुलिस नियम को सौ फीसदी लागू करे और प्रदूषण के अन्य स्रोतों पर भी काबू पाया जाए।
3. **संजीव पालीवाल** (मैनेजिंग एडिटर, लाइव इंडिया)—खाली सड़क, कोई हार्न नहीं, ना कोई झगड़ा, दिल्ली की सड़कें इतना सुकून देंगी किसने सोचा था !
4. **असद जैदी** (मशहूर कवि)—हम अपनी इवन नंबर वाली कार से कल गुड़गाँव से ओखला गये और तमाम जगहों पर घूमते हुए करीब आठ घंटे में वापस गुड़गाँव आ गये। ऐसा लगा जैसे 1990 के दशक के मध्य की सड़कें हों। मीर तकी मीर का शेर याद आ रहा था कि

दिल्ली के न थे कूचे, औरो के मुसव्विर थे

जो शकल नज़र आई, तस्वीर नज़र आई।

उम्मीद करता हूँ कि ऑड-इवन की यह नीति 15 जनवरी के बाद भी लागू रहेगी। साथ ही कुछ इलाकों को धीरे-धीरे पूरी तरह कार फ्री घोषित कर दिया जाएगा।

आम आदमी है 'जन-गण-मन'

राष्ट्रगान 'जन गण मन' में अधिनायक
कैसे कहा गया है, इसे लेकर
अक्सर विवाद खड़ा किया जाता
का अधिनायक

है। कई लोग बार-बार यह आरोप लगाते हैं कि यह गीत ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा गया था। हाँलाकि इसके रचयिता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने ऐसा सवाल उठाने वालों में 'कॉमनसेंस की कमी' होने की बात लिखी थी, लेकिन समय के साथ, राजनीतिक कारणों से इस विवाद को हवा दी जाती रही।

टैगोर के मुताबिक राष्ट्रगान में 'अधिनायक' शब्द, राष्ट्र की जनता, उसका सामूहिक विवेक या फिर वह सर्वशक्तिमान है जो सदियों से भारत के रथचक्र को आगे बढ़ा रहा है। मूल रूप से संस्कृतनिष्ठ बांग्ला में लिखे गये इस पांच पदों वाले गीत का तीसरा पद गौर करने लायक है—

पतन—अभ्युदय—वन्धुर पन्था, युग युग धावित यात्री ।
हे चिर सारथि, तव रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि ।
दारुण विप्लव—माझे तव शंख ध्वनि बाजे
संकट दुःख त्राता ।

जन गण पथ परिचायक जय हे भारत भाग्य विधाता!
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे ।।

इस बंद में एक 'भीषण विप्लव' की कामना कर रहे टैगोर 'भाग्यविधाता' के रूप में कम से कम जॉर्ज पंचम की बात नहीं कर सकते। न अंग्रेज सम्राट की कल्पना भारत के 'चिर सारथी' के रूप में की जा सकती है। जाहिर है, टैगोर ऐसे आरोप से बेहद आहत थे। वे इसका जवाब देना भी अपना अपमान समझते थे। 19 मार्च 1939 को उन्होंने 'पूर्वा' में लिखा—

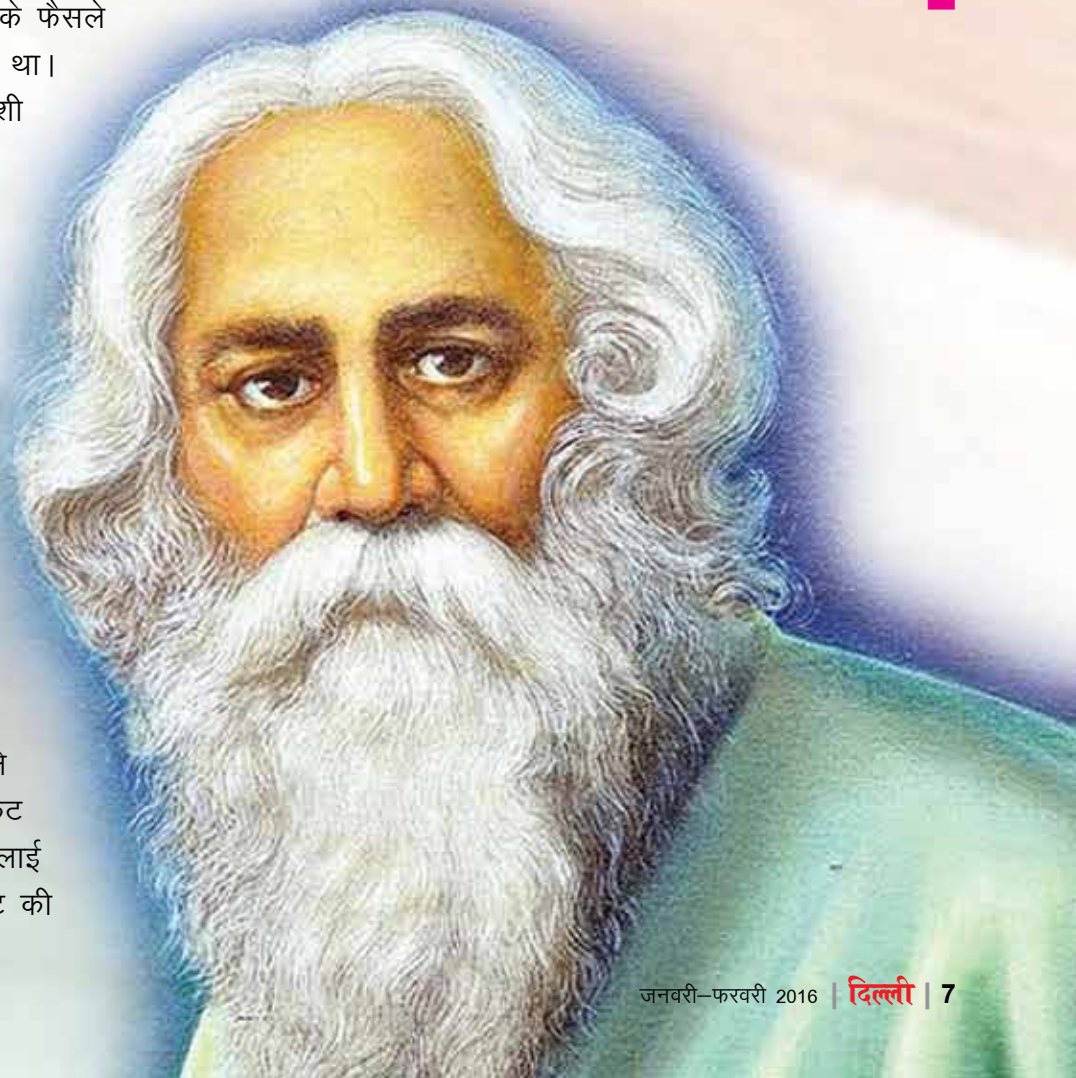
'अगर मैं उन लोगों को जवाब दूंगा, जो समझते हैं कि मैं मनुष्यता के इतिहास के शाश्वत सारथी के रूप में जॉर्ज चतुर्थ या पंचम की प्रशंसा में गीत लिखने की अपार मूर्खता कर सकता हूँ, तो मैं अपना ही अपमान करूंगा।'

टैगोर की मनःस्थिति का कुछ अंदाज 10 नवंबर 1937 को पुलिन बिहारी सेन को लिखे उनके पत्र से भी चलता है। उन्होंने लिखा— “ मेरे एक दोस्त, जो सरकार के उच्च अधिकारी थे, ने मुझसे जॉर्ज पंचम के स्वागत में गीत लिखने की गुजारिश की थी। इस प्रस्ताव से मैं अचरज में पड़ गया और मेरे हृदय में उथल-पुथल मच गयी। इसकी प्रतिक्रिया में मैंने ‘जन-गण-मन’ में भारत के उस भाग्यविधाता की विजय की घोषणा की जो युगों-युगों से, उतार-चढ़ाव भरे उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए भारत के रथ की लगाम को मजबूती से थामे हुए है। ‘नियति का वह देवता’, ‘भारत की सामूहिक चेतना का स्तुति गायक’, ‘सार्वकालिक पथप्रदर्शक’ कभी भी जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम् या कोई अन्य जॉर्ज नहीं हो सकता। यह बात मेरे उस दोस्त ने भी समझी थी। सम्राट के प्रति उसका आदर हृदय से ज्यादा था, लेकिन उसमें कॉमन सेंस की कमी न थी।”

टैगोर इस पत्र में 1911 की याद कर रहे हैं जब जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। इसी के साथ 1905 में हुए बंगाल के विभाजन के फैसले को रद्द करने का ऐलान भी हुआ था। बंगाल के विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के रूप में एक बवंडर पैदा हुआ था। 1857 की क्रांति की असफलता के बाद यह पहला बड़ा आंदोलन था जिसने पूरे देश को हिला दिया था। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। उस समय कांग्रेस मूलरूप मध्यवर्ग की पार्टी थी जो कुछ संवैधानिक उपायों के जरिये भारतीयों के प्रति उदारता भर की मांग कर रही थी। ऐसे में अचरज नहीं कि बंगाल विभाजन रद्द करने के फैसले के लिए सम्राट के प्रति आभार प्रकट करने का फैसला हुआ। 27 जुलाई 1911 को इस अधिवेशन में सम्राट की

प्रशंसा में जो गीत गाया गया था वह दरअसल राजभुजा दत्त चौधरी का लिखा “बादशाह हमारा” था। लेकिन चूंकि अधिवेशन की शुरुआत में जन-गण-मन भी गाया गया था इसलिए दूसरे दिन कुछ अंग्रेजी अखबारों की रिपोर्ट में छपा कि सम्राट की प्रशंसा में टैगोर का लिखा गीत गाया गया। भ्रम की शुरुआत यहीं से हुई।

समय के साथ यह भ्रम राजनीतिक कारणों से बढ़ाया गया। यह प्रचारित किया जाता रहा कि ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान होना चाहिए था, लेकिन ‘जन-गण-मन’ को यह दर्जा दिया गया जो अंग्रेज सम्राट के स्वागत में रचा गया था। आशय यह बताना था कि आजाद भारत को मिला पं.नेहरू का नेतृत्व कम राष्ट्रवादी था और उसने असल राष्ट्रवादियों को अपमानित करने के लिए ऐसा किया। यह बात भुला दी जाती है कि 24 जनवरी 1950 को जब डा. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के सामने ‘जन-गण-मन’ को राष्ट्रगान घोषित किया था तो अपने बयान में वंदे मातरम को भी समान दर्जा देने का ऐलान किया था।





भ्रष्टाचार के खिलाफ तेज़ हुई जंग

जनलोकपाल बिल विधानसभा से पारित!

दिल्ली विधानसभा ने शीतकालीन सत्र में जनलोकपाल बिल पास करके नया इतिहास रच दिया। आम आदमी पार्टी का गठन जिस सपने को लेकर हुआ था उसे अमली जामा पहनाये जाते समय विधानसभा इंकलाब जिन्दाबाद के नारों से गूँज उठी। वाकई यह एक भावुक क्षण था जिसका असर सदन के बाहर भी नजर आ रहा था। ढोल-नगाड़ों के बीच वहाँ भारी तादाद में इकट्ठा लोगों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कंधे पर उठाकर जश्न मनाया।

तीन साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आँधी की सबसे बड़ी मांग थी जनलोकपाल कानून। इससे जुड़े बिल को जब विपक्ष ने विधानसभा में पेश नहीं होने दिया तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2013 में सरकार गठन के 49 दिन बाद इस्तीफा दे दिया था। इस बार फिर विपक्ष ने प्रस्तावित जनलोकपाल बिल पर तमाम सवाल उठाये लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि वह हर हाल में इस विधेयक को पास करेगी और वैसा ही हुआ। 4 दिसंबर 2015 को जनलोकपाल बिल-2015 को दिल्ली विधानसभा ने पारित कर दिया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार रहे या नहीं, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा कानून जरूर रहेगा जो भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार इस कानून की राह में अड़ंगा डालेगी तो वे जनसहयोग के साथ नया आंदोलन छेड़ेंगे। उन्होंने बिल को कमजोर बताने वालों को चुनौती दी कि बीजेपी और कांग्रेस अपने शासित राज्यों में इस कथित कमजोर कानून को ही लागू करके दिखायें।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और और मंत्रियों को इस कानून के दायरे में लाये जाने पर सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि संविधान इजाजत देता है कि दिल्ली की सीमाओं में होने

वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली सरकार कार्रवाई कर सकती है। अगर पुलिस किसी केंद्रीय मंत्री पर लगे आरोप पर कार्रवाई कर सकती है तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं कर सकती।

जनलोकपाल बिल पास करने से पहले अन्ना हजारे की ओर से मिले सुझावों को शामिल करते हुए कुछ संशोधन भी किए गये। इस बिल के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आएंगे और छह महीने में जांच पूरी करके छह महीने में ही ट्रायल भी पूरा होगा। लोकपाल के पास अपनी जांच एजेंसी होगी। आरोप सिद्ध होने पर 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है और सरकारी खजाने को हुए नुकसान का पांच गुना तक वसूला जा सकेगा। ■

दिल्ली जनलोकपाल बिल-2015

- ▶ ये बिल दिल्ली की सीमा में होने वाले किसी भी भ्रष्टाचार की जाँच और कार्रवाई के लिए है।
- ▶ आम जनता की शिकायत पर, स्वतंत्र संज्ञान लेकर और सरकार की तरफ से शिकायत आने पर जाँच हो सकेगी।
- ▶ लोकपाल का अपना एक इनवेस्टिगेशन विंग होगा।
- ▶ जाँच के लिए अन्य विभागों और अधिकारियों की मदद ली जा सकेगी।
- ▶ जाँच को अधिकतम 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। अति विशेष मामलों में ये समय-सीमा अधिकतम 12 महीने तक हो सकती है।
- ▶ लोकपाल का अपना प्रॉसिक्यूशन विंग होगा।
- ▶ समयबद्ध सीमा में जाँच और समयबद्ध सीमा में मुकदमा लोकपाल की सबसे बड़ी ताकत है।
- ▶ करप्शन से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होगा।
- ▶ करप्शन में शामिल पब्लिक सर्वेंट को सस्पेंड करने और ट्रांसफर करने का अधिकार होगा।
- ▶ इसके तहत अधिकतम सजा आजीवन कारावास की है। इसके अलावा 6 महीने से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सजा के साथ-साथ जुर्माने का भी प्रावधान है।
- ▶ भ्रष्टाचार से सरकारी खजाने को हुए नुकसान का पांच गुना तक जुर्माना लगेगा।
- ▶ ऊँचे पद पर बैठ लोग अगर करप्शन करते हुए पाए जाते हैं तो उनको कठोरतम सजा देने प्रावधान है।
- ▶ निजी कंपनियों के करप्शन के मामले में उनके पदाधिकारियों को दंडित करने का अधिकार है।
- ▶ भ्रष्टाचार उजागर करने वाले की सुरक्षा और उनको प्रशासनिक शोषण से बचाने का अधिकार लोकपाल के पास है।
- ▶ भ्रष्टाचार उजागर करने वाले की जान को अगर खतरा है तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।



पढ़ना होगा! पढ़ाना होगा! बदलेगी फ़ेल न करने की नीति!

एडमीशन के लिए इंटरव्यू पर रोक, शिक्षकों को देना होगा निर्धारित वेतन

आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए कमर कस ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तीन अहम बिल पास किए गये हैं ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण मिले और निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगे।

दिल्ली विधानसभा से पास इन विधेयकों में दिल्ली स्कूल 2015 (लेखा और अतिरिक्त शुल्क विधेयक की वापसी का सत्यापन), दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) 2015 विधेयक

और बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (दिल्ली संशोधन) विधेयक शामिल हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि ये तीन विधेयक इस बात का सबूत हैं कि उनकी सरकार शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं। शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए बेहतर शिक्षा ही एकमात्र साधन है। अंततः हमारा लक्ष्य शहर में हर बच्चे को शिक्षित और स्वस्थ करना है।

सीएम केजरीवाल ने कहा, जो लोग ईमानदारी से अपना स्कूल चलाना चाहते हैं वह सरकारी तंत्र के साथ जुड़

‘नो डिटेंशन’ से हुआ नुकसान !

‘नो डिटेंशन’ यानी फेल न करने की नीति पर सवाल यँ ही नहीं उठ रहे थे। शिक्षा की गुणवत्ता खराब होने की बात कई सर्वेक्षणों से प्रमाणित हुई थी।

2011-12 में हुए सामान्य इम्तहान में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की छठी क्लास में 14 फीसदी, सातवीं में 14 फीसदी और आठवीं के 12 फीसदी छात्र फेल हुए।

2012-13 में छठी कक्षा के 18 फीसदी, सातवीं कक्षा के 16 फीसदी और आठवीं के 13 फीसदी छात्र फेल हुए।

2013-14 में हुए सामान्य इम्तहान में छठी कक्षा के 25 फीसदी, सातवीं के 24 फीसदी और आठवीं के 21 फीसदी छात्र फेल हुए।

यानि फेल न करने की नीति की वजह से छठी स्तर का ज्ञान न होने पर सातवीं और सातवीं स्तर का ज्ञान न होने पर छात्र आठवीं तक पहुँच गये। फिर नवीं कक्षा में पहुँचे तो अचानक उन पर बोझ बहुत ज्यादा हो गया। शिक्षकों को भी नहीं पता था कि नई स्थिति से कैसे निपटें। उनके प्रशिक्षण का इंतजाम नहीं हुआ था। वहीं छात्रों के फेल होने की चिंता नहीं रह गई तो अभिभावक भी लापरवाह हो गये।

सकते हैं। प्रत्येक प्राइवेट स्कूल, सरकारी प्रावधान के मुताबिक अपने शिक्षकों का भुगतान खुद करेगा। इस संबंध में एक समिति सुझाव देगी और समिति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन स्कूलों को करना होगा।

दिल्ली स्कूल शिक्षा (संशोधन) विधेयक के अनुसार स्कूल में एडमिशन के लिए इंटरव्यू लेने पर और कैपिटेशन फीस चार्ज लेने पर विभिन्न श्रेणियों में दंडित किया जा सकता है। विधेयक के मुताबिक नर्सरी स्तर पर भी स्कूल में दाखिला लेने के लिए इंटरव्यू लेने पर दंडित किया जा सकता है। विधानसभा में पारित हुए इस विधेयक के मुताबिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर

संबंधित स्कूल को 5 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। जबकि बार-बार नियमों का उल्लंघन करने पर दस लाख का जुर्माना देना पड़ेगा।

विधानसभा में बिल पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि किसी को फेल किया जाये। कक्षा आठ तक ‘नो डिटेंशन’ एक अच्छी नीति है, लेकिन बिना व्यापक तैयारियों के लागू की गई इस नीति के बुरे नतीजे आये हैं इसलिए पुनर्विचार की जरूरत है। दुनिया के अधिकतर विकसित देशों में भी विज्ञान, गणित, भाषा वगैरह विषयों में बेरोक-टोक अगली कक्षा में भेजने की नीति तय नहीं हो पाई है।

उन्होंने कहा कि न तो न पाठ्यपुस्तकें बदली गईं, न ही शिक्षकों को नई ट्रेनिंग दी गई। न छात्र-शिक्षक अनुपात ठीक किया गया। बस ‘महान विचार’ मानते हुए फेल न करने की नीति लागू कर दी गई। इसके लिए न छात्र तैयार थे, न शिक्षक और न ही अभिभावक। इसलिए सरकार ने सोचा कि पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाये।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अभी आठवीं तक किसी को फेल न करने की नीति की वजह से नौवीं कक्षा में अचानक बहुत दबाव जाता है। बड़े पैमाने पर नौवीं कक्षा में बच्चे फेल होते हैं। इससे बेहतर है कि पहले ही बच्चों की बुनियाद मजबूत की जाए। ■



नर्सरी से 'मैनेजमेंट कोटा' ख़त्म



हर साल जनवरी में बच्चों के नर्सरी एडमीशन के लिए परेशान दिल्ली के अभिभावकों की तस्वीर अब गुजरे जमाने की बात होगी। केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए स्कूलों में मैनेजमेंट कोटा खत्म करने का एलान किया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब आम बच्चों के लिए स्कूलों की 75 फीसदी सीटें उपलब्ध होंगी। गरीब बच्चों के लिए 25 फीसदी सीटों का कोटा पहले की तरह जारी रहेगा।

दिल्ली सरकार का यह ऐलान एक बड़ी राहत मान जा रहा है। दरअसल, मैनेजमेंट कोटे के नाम पर तरह-तरह के घपले के आरोप लगते थे। दिल्ली सरकार ने दिसंबर में स्कूलों से कहा था कि दाखिले के पैमाने वे खुद तय करें और वेबसाइट पर डाल दें, लेकिन कुछ स्कूलों ने ऐसे पैमाने तय किये, जिनका कोई ओर-छोर ही नहीं था।

जैसे कुछ ने तय किया कि जिनके माँ-बाप मांसाहारी होंगे, या सिगरेट-शराब पीते होंगे उन्हें दाखिला नहीं मिलेगा। सरकार ने ऐसे करीब 62 पैमाने खत्म कर दिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि सरकार स्कूलों की स्वतंत्रता में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन दिल्ली के बच्चों को बिना परेशानी के एडमीशन मिले, यह भी उसका दायित्व है।

दरअसल, स्कूलों पर मनमानी करने से लेकर भ्रष्टाचार तक के तमाम आरोप लगते थे। खाली बची रह गई सीटों को मैनेजमेंट कोटा के नाम पर भरा जाता था। तमाम अभिभावकों का आरोप है कि इसके लिए काफी बड़ी रकम वसूली जाती थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल का स्पष्ट मानना है कि दाखिला हर बच्चे का अधिकार है। सरकार का दायित्व ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे कोई भी बच्चा दाखिले से वंचित न रह जाये। मैनेजमेंट



कोटा समाप्त करना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। जब एडमिशन की पारदर्शी व्यवस्था होगी तो किसी को सिफारिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और न ही किसी को यह अहसास होगा कि उसके साथ अन्याय हुआ। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि अगले साल से स्कूलों में पूरी तरह ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जाएगी। ■

‘सरकार ने अपने हाथ काटे’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कोटा समाप्त करके सरकार ने अपने ही हाथ काट लिये हैं क्योंकि अब स्कूलों में एडमिशन बिना किसी सिफारिश से होंगे। ऐसा नहीं होता तो कार्यकर्ता एडमिशन के लिए सिफारिश करने पर जोर देते। लेकिन सरकार ने पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की है। उसका स्कूलों के कामकाज में हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है। मैनेजमेंट कोटा का इस्तेमाल राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और शक्तिशाली लोगों को उपकृत करने के लिए किया जाता था। इसके खत्म होने से करीब 50 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें आम आदमी को मिल गई हैं।



दिल्लीवालों को मिला तय वक्त में सेवा पाने का अधिकार!

दफ़्तर का चक्कर लगवाने वाले अफ़सरों पर लगेगा जुर्माना



दिल्ली की जनता को अब किसी दफ़्तर में अपने काम के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) संशोधन विधेयक, 2015 सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस कानून के बन जाने से जनता को तय वक्त पर सेवाएं न देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यानी निश्चित अवधि में सेवाएँ प्राप्त करना लोगों का कानूनी अधिकार होगा। इस कानून की वजह से घूसखोरी की

तमाम आशंकाओं के लिए भी जगह नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संशोधित कानून को भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की बड़ी जीत बताया।

सिटीजन चार्टर से जुड़े इस संशोधित कानून में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति के सरकारी दफ़्तर से जुड़े काम में देरी होती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा संबंधित व्यक्ति को तुरंत मिल जाएगा। फिर विभाग यह जिम्मेदारी तय करेगा कि इस गलती के लिए

बिल में क्या है खास

- निचले स्तर तक घूसखोरी बंद करने में मदद मिलेगी
- यह संविधान के नीतिनिर्देशक तत्वों को सही मायने में अमल में लाने की पहल है
- गलत तरीके से सेवा देने से मना करना भी अपराध होगा
- अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग मुआवजा मिलेगा
- जो अफसर ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।

किस अधिकारी की सैलरी काटी जाए। पिछले कानून में मुआवजे का प्रावधान बहुत हास्यास्पद था। उसमें देरी के मामले में रोजाना के हिसाब से 10 रुपये और अधिकतम 200 रुपये तक जुर्माना दिया जा सकता था। अब अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग मुआवजा

मिलेगा। साथ ही मुआवजे के लिए चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी।

जो अफसर ईमानदारी से लोगों की सेवा करेंगे उन्हें फाइल में और फाइनैशियल दोनों तरह के रिवार्ड दिया जाएगा।

दिल्ली विधानसभा में संशोधित दिल्ली सिटीजन चार्टर बिल पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मौजूदा सिटीजन चार्टर में सजा के जो प्रावधान थे वह इतने मामूली थे कि उनसे कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। इसके लागू होने के चार वर्ष बाद भी एक भी व्यक्ति को इस कानून का लाभ नहीं मिला और न ही इसके तहत एक भी अधिकारी या कर्मचारी का वेतन काटा गया। अभी भी लोग इस प्रकार की शिकायतें लेकर आ रहे हैं, जिनसे पता चलता है कि घूसखोरी रुक नहीं पा रही है। लोगों को किसी काम के लिए इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि वह परेशान होकर रिश्तत के लिए मजबूर हो जाएं। सिसोदिया ने कहा कि प्रभावी सिटीजन चार्टर लोकपाल आंदोलन का सबसे अहम हिस्सा था। ■

सौ में सत्तर आदमी फिलहाल जब नाशान है दिल पर रखकर हाथ कहिये देश क्या आजाद है !



यह मशहूर शायर अदम गोंडवी का शेर है जिसे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में सिटीजन चार्टर बिल पेश करते हुए पढ़ा। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान में अधूरापन दूर करने के लिए जरूरी है। संविधान की शुरुआत 'वी द पीपुल' से होती है लेकिन जब आम आदमी सरकारी दफ्तर जाता है तो यह 'हू द पीपुल' में बदल जाता है।

उन्होंने कहा कि प्रभावी सिटीजन चार्टर कानून लागू होने से आम आदमी को महसूस होगा कि दिल्ली में उसी की सरकार है। सिर्फ चुनाव को लोकतंत्र कह देना नासमझी है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी जानती है कि सरकारी कर्मचारियों पर कितना बोझ है। एक

एसडीएम के पास हर महीने करीब साढ़े बारह सौ सर्टिफिकेट बनाने का काम होता है। यानी 60-70 सर्टिफिकेट रोज। वह भी फील्ड परीक्षण करके। इसके अलावा भी उसके पास कई काम होते हैं। यह अव्यावहारिक है। इसलिए सरकार ने पहले दस्तावेजों के सेल्फ एटेस्टेशन का नियम लागू किया, उसके बाद सिटीजन चार्टर लागू किया जा रहा है। इसके अलावा अच्छा काम करने वाले अधिकारियों के प्रोत्साहन का भी नियम है। हम पहले अनुकूल माहौल बना रहे हैं फिर सख्ती करेंगे। कसौटी एक ही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में अधिकारी आम आदमी के सेवक बन कर रहें। उसे अधिकारियों, विधायकों या मंत्रियों का चक्कर न काटना पड़े।

**हम सारे शहर को खुदारी से भर देंगे
झुकाने पड़ते हैं जहां सर, वे दर हटा देंगे !**

हिंदी को दोयम दर्जे का मानना बंद करना होगा-मैत्रेयी पुष्पा

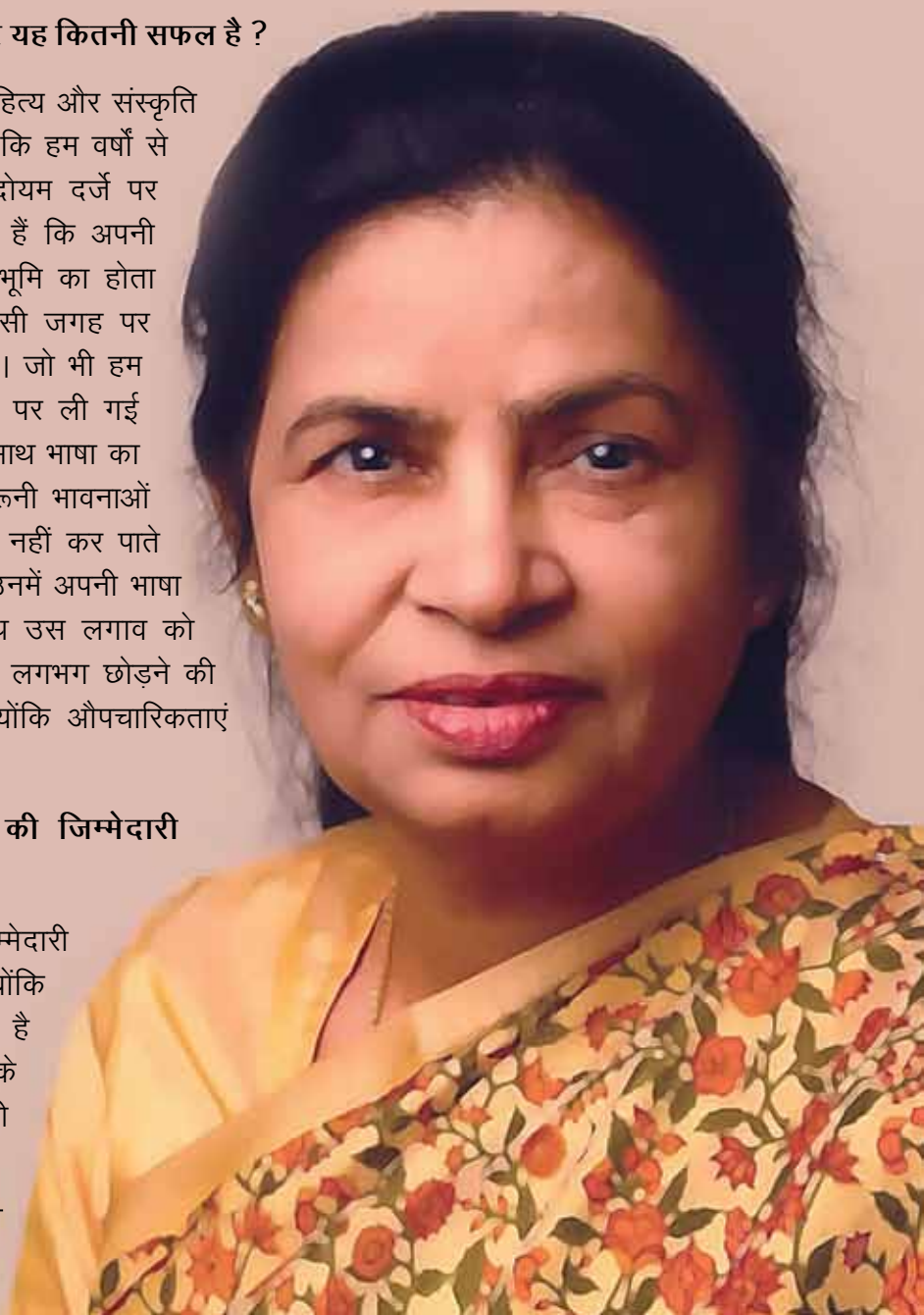
‘चाक’, ‘अल्मा कबूतरी’ ‘कहैं ईसुरी फाग’, ‘बेतवा बहती रही’, ‘इदन्नमम’ जैसे चर्चित उपन्यासों से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली प्रसिद्ध लेखिका मैत्रेयी पुष्पा अब दिल्ली हिंदी अकादमी की उपाध्यक्ष हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें इस पद की पेशकश की क्योंकि जान-पहचान के बल पर पद पाने-लेने के युग में उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बहरहाल, मैत्रेयी जी ने जिम्मेदारी स्वीकार की और अकादमी को सक्रिय भूमिका में लाने के लिए जी-जान से जुटी हैं। पेश हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश—

प्रश्न— अकादमी का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह कितनी सफल है ?

उत्तर—अकादमी का उद्देश्य हिन्दी भाषा, साहित्य और संस्कृति का विकास एवं प्रचार प्रसार करना है। जैसा कि हम वर्षों से देख रहे हैं कि हिन्दी को हिन्दी-भाषी ही दोयम दर्जे पर रखने लगे हैं, वे यह विचार करना भूल गए हैं कि अपनी भाषा का महत्व वही होता है जो अपनी मातृभूमि का होता है। जब-जब हम दूसरी भाषा या दूसरी किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ के असल नागरिक नहीं होते। जो भी हम वहाँ से लेते हैं, वह शब्द या संस्कृति उधारी पर ली गई चीजों जैसी होती है क्योंकि हम वेष-भूषा के साथ भाषा का बरताव तो कर सकते हैं लेकिन अपनी अन्दरूनी भावनाओं या कहिए कि आत्मा को उसी जुमले में कैच नहीं कर पाते हैं। अकादमी के जरिए जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अपनी भाषा के प्रति सच्ची लगन और ईमानदारी के साथ उस लगाव को जगाने की कोशिश की जाती है, जिसको हम लगभग छोड़ने की स्थिति में होते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते क्योंकि औपचारिकताएं बहुत लम्बी नहीं निभायी जा सकतीं।

प्रश्न— एक लेखक बतौर हिंदी अकादमी की जिम्मेदारी संभालना कितनी चुनौतीपूर्ण है ?

उत्तर—मुझे लगता है कि अकादमी की जिम्मेदारी उस भाषा के लेखक को ही देनी चाहिए क्योंकि वह अपनी प्रतिबद्धता में ऐसा मनुष्य होता है जो भाषा और साहित्य के लिए पूरे प्रयत्नों के साथ लगा रहना चाहता है। वह साहित्य की हर बारीकी को जानता है इसलिए अकादमी



के तहत होने वाले कार्यक्रमों को पाठकों और दर्शकों की रुचियों के अनुसार प्रस्तुत करता है। एक लेखक के लिए अकादमी का कार्यभार संभालते हुए चुनौतियाँ तब आती हैं जब इसमें बाहरी हस्तक्षेप होते हैं, राजनीतिक दबाव होते हैं और कुछ आर्थिक लालच होते हैं। अगर यह सब नहीं है तो एक रचनाकार के लिए इससे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सकता। वह अपनी रचनात्मकता जैसे पुस्तकों में दर्ज करता है ऐसे ही अकादमी के स्तर पर तमाम कवियों, लेखकों, नाटककारों और लोक कलाकारों के साथ उपस्थित करता है।

मेरे ख्याल से तो मेरे लिए चुनौतियाँ नहीं हैं, ये चाहते हैं जिनकी कल्पना मैंने केवल कलम एवं कागज पर की थी और अब मेरे सामने हर जगह मंच है, मंच का जीता-जागता संसार है।

प्रश्न—आपके आने के बाद अकादमी में कैसे परिवर्तन हुए ?

उत्तर—अभी मुझे कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ है अकादमी में आए हुए, लेकिन जिस स्तर पर भी मुझे लगा कि परिवर्तन की जरूरत है वहाँ मैंने और मेरे स्टाफ ने बहुत कुछ बदलना चाहा। ये बदलाव साहित्यकारों के हितों में, साहित्य की तरक्की में और पाठकों तथा दर्शकों के जीवन—मूल्यों में सहायक होगा, ऐसा हम लोगों ने विचार किया है। यहाँ मैं अकेली निर्णय नहीं लेती हूँ, बल्कि मेरे साथ कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्य एवं मेरे स्टाफ की पूरी टीम होती है, हम सर्वसम्मति से कोई भी फैसला लेकर उसे पारित करते हैं। हमने अकादमी की पत्रिका इन्द्रप्रस्थ भारती को त्रै-मासिक से मासिक किया है, दूसरी बात जो कार्यक्रमों में प्रतिभागिता निभाते हैं उनका पारिश्रमिक सम्मान जनक राशि के रूप में बढ़ाया है जिससे कि हिन्दी को कमतर न आंका जाये और न ही कोई हिन्दी के महत्व को भूले। साथ ही याद रहे कि हिन्दी पारिश्रमिक भुगतान के स्तर पर अपने रूप में आगे जा रही है, क्योंकि अपनी मेहनत में हिन्दी का लेखक, कवि, पत्रकार नाटककार और लोक कलाकार उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य महत्वपूर्ण मानी जाने वाली भाषाओं में होते हैं। इसी के साथ हमने अकादमी से दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों की राशि बढ़ाई है, जिन पुरस्कारों की राशि 50 हजार रुपये थी उनको बढ़ाकर एक लाख कर दिया है। अकादमी का सबसे बड़ा

सम्मान यानी शलाका सम्मान को 5 लाख का किया है जो कि वरिष्ठतम लेखकों को उनकी आजीवन लेखकीय प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है। इसके साथ-साथ मैंने हिन्दी अकादमी का कार्यालय वर्तमान में जहाँ चल रहा है, उसकी जगह बदलवाने की कोशिश की है। मेरा मकसद है कि अकादमी ऐसी खुली जगह पर हो जहाँ साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, कवि, नाटककार लोक कलाकार एवं अन्य व्यक्ति, आसानी से आ सकें और हमारे सारे कर्मचारी भी वहाँ सुविधापूर्वक पहुंच सकें। हमारी यह मांग दिल्ली सरकार ने मान ली है और हमें जगह उपलब्ध करा दी है। सरकार ने यह कार्य बहुत जल्दी किया है जो कि पिछले 27 वर्षों से नहीं हो पाया था।

हमने ऐसी योजनाएँ बनाई हैं जो स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के विद्यार्थियों के बीच जाएँ और प्रतियोगिता के माध्यम से ऐसे रचनाकार निकालें जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। इसके साथ-साथ हिन्दी के उन अध्यापकों से संवाद की ऐसी योजना चला रहे हैं जिससे हमको यह पता चलेगा कि हिन्दी की रचनाओं को पढ़ते एवं पढ़ाते हुए अध्यापक का रवैया क्या होता है और छात्रों की रुचि किस रूप में सामने आती है। मैं समझती हूँ कि इसमें कुछ उपाय ऐसे निकलेगें जिससे अध्यापकों के पढ़ाने में कुछ ऐसे परिवर्तन हों जो विद्यार्थियों को साहित्य में रुचि लेने के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए मैंने खुद विद्यालयों में जाकर उनके बीच अपनी बात रख कर (जिसे मैं व्याख्यान नहीं कह सकती) देखा है कि यह प्रयोग बहुत कारगर हो सकता है क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी भाषण नहीं सुनना चाहती, आपसे संवाद करना चाहती है। इसलिए अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को अकादमी से जोड़ना जरूरी लगा और यह भी कि उनको रचनात्मकता में प्रवृत्त करके कुछ ऐसी रचनाएँ निकलवायी जाएँ जिन्हें हम अपनी पत्रिका 'इन्द्रप्रस्थ भारती' में प्रकाशित करें। मेरा विचार है कि इससे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलेगा, लिखने की और पढ़ने की समझ बढ़ेगी। फिर तो एक को देख कर एक बदलता है। इस तरह हमारा साहित्य समृद्ध होगा और अकादमी के लिए यह नायाब नतीजा होना चाहिए।

प्रश्न—भविष्य की क्या योजनाएँ हैं ?

उत्तर—भविष्य की बात कौन कह सकता है। मैं यह भी नहीं जानती कि मैं यहाँ कितने दिन हूँ और कब तक

हूँ। लेकिन मैं जब तक भी हूँ, जिसे आप भविष्य समझते हैं, मेरे पास बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे हिन्दी अकादमी अपने उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए गर्व करेगी। साथ ही इसके जरिए हमारे साहित्यकार, पाठक और तमाम विधाओं से जुड़े हुए लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होते रहेंगे। जो योजनाएं होती हैं वो एक दिन में अभिव्यक्त नहीं की जा सकतीं, वो तो मन में रोज बनती हैं और समय आने पर लागू कर दी जाती हैं।

प्रश्न—सरकारी संस्थानों से जुड़ाव को लेकर लेखकों की आलोचना होती रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ ?

उत्तर—जब सरकारी संस्था से किसी लेखक को जोड़ा जाता है तो आलोचना का प्रश्न नहीं उठना चाहिए, मगर उठता है। यह सवाल वहीं उठता है जहाँ कोई तरफदारी होती है, मित्रता निभाई जाती है या लाभ—लोभ का लेन—देन होता है। लोग यह समझते हैं कि ऐसी मंशाओं का पता नहीं लगता, लेकिन आलोचना सामने आती हो तो वह ऐसी ही मंशा का पता देती है, वरना तो किसी रचनाकार की नियुक्ति पर लेखकों, कवियों को खुशी होनी

थी। आम आदमी पार्टी का मुखिया के रूप में मैंने उन्हें निहायत ईमानदार, सहज और सरल व्यक्ति के रूप में देखा है। जब पहला चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा तब भी मेरी इनसे कोई जान—पहचान नहीं थी लेकिन मेरी भावना यही रही कि इस पार्टी से बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम चार—छ विधायक जीतकर विधान सभा पहुँच जाएँ तो यह ईमानदारी और न्याय की जीत होगी, लेकिन ये 28 सीट जीत गए और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। एक—दो बार मेरा इन्टरव्यू साहित्यकार के रूप में हुआ तो मेरे सामने अन्य नेताओं के साथ अरविन्द केजरीवाल का नाम भी आया। पूछा गया कि मैं इनके बारे में क्या सोचती हूँ ? तो जो मैं यहाँ बोल रही हूँ, वही सोचती थी। मैं अरविन्द से नहीं मिली। पार्टी में किसी और से भी नहीं मिली थी और एकाएक महिला आयोग के अध्यक्ष के लिए मेरा नाम आ गया। उसके बाद फिर हिन्दी अकादमी के उपाध्यक्ष के लिए। मैंने अरविन्द से पुछा कि आपने मुझे कहाँ से ढूँढा तो वे हसने लगे और मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने आपको पढ़ा है। अरविन्द ने बहुत कुछ तो नहीं, बस यह कहा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ। मुझे आश्चर्य के सिवाय और क्या होता ? समझ में यही आया

- ▶ हिंदी अकादमी के शलाका सम्मान के तहत दिये जायेंगे पांच लाख रुपये।
- ▶ छात्रों और अध्यापकों को साहित्य से जोड़ने की योजना शुरू हुई
- ▶ दिल्ली हिंदी अकादमी को मिलेगा नया भवन
- ▶ लेखकों, कवियों और कलाकारों से संवाद बढ़ाया जायेगा

चाहिए जबकि खुशियों की जगह दलबंदियों के खुलासे सामने आने लगते हैं।

प्रश्न—आपका अरविन्द केजरीवाल से कोई जान—पहचान नहीं थी। जब उन्होंने आपको यह पद दिया तो आपने क्या महसूस किया। साहित्य, कला और संस्कृति को लेकर इस सरकार के रवैये को आप कैसे देखती हैं?

उत्तर—अरविन्द केजरीवाल को मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप में अखबार एवं टी.वी. के माध्यम से जानती थी, वे अन्ना के आन्दोलन में कब थे ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन अन्ना आन्दोलन में मैं एक दिन गई

कि अरविन्द ने मुझे यह पद नहीं जिम्मेदारी दी है। चिंता यह भी थी कि पता नहीं यहाँ कैसे दबाब होंगे, कौन से नियम बताए जाएँगे। हमारे साथी रचनाकारों ने भी कहा कि यह काटों भरा ताज है, देखते हैं आप कैसे निभाएँगी, लेकिन आज जब छह महीने बीत चुके हैं तब मैं यह कह रही हूँ कि यहाँ मुझे अपनी तरह से काम करने की इतनी आजादी मिली हुई है कि जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। साहित्यकार हूँ और साहित्य, कला और संस्कृति मेरा सरोकार है और यह सरकार मेरी इस मुहिम के साथ पूरा सहयोग कर रही है कि कहीं भी कोई कठिनाई या कमी न आए। ■

दहेज के खिलाफ 'आप' की सरकार

विधानसभा का संकल्प – दहेज न लेंगे, न देंगे !

जि जिस दौर में राजनीति को केवल सत्ता पाने की जद्दोजहद तक सीमित कर दिया गया है, उसी दौर में आम आदमी पार्टी की सरकार सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलकर नया संदेश दे रही है।

दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायकों ने दहेज को जड़ से मिटाने के लिए मुहिम शुरू करने का संकल्प लिया। सदन में बाकायदा एक संकल्प लाया गया कि सदन के सदस्य अपने बच्चों की शादी में न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। इस संकल्प को सभी सदस्यों ने दोहराया। यही नहीं, मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए इस संकल्प पर वोटिंग भी हुई और सभी सदस्यों ने इसके समर्थन में वोट किया। सदन में यह भी तय हुआ कि जन प्रतिनिधि अब केवल उन्हीं शादी समारोहों में जाएंगे, जहां पर दहेज का लेन-देन नहीं हुआ हो। वे शाही अंदाज में होने वाली शादियों में जाने से परहेज करेंगे। कई सदस्यों ने तो शपथ भी ली कि वे अपने बच्चों की शादी बिना दहेज कराएंगे।

पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने दहेज की सामाजिक बुराई का मुद्दा उठाते हुए एक बेहद तकलीफदेह घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले एक लड़की ने मेट्रो के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी और बाद में पता चला कि इसका कारण दहेज की लड़की पढ़ी-लिखी थी और अच्छी शादी तय हो गई थी लेकिन दहेज पर था। इससे परेशान होकर

एक रिपोर्ट के मुताबिक दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के कारण देश में करीब हर 20 मिनट में एक महिला को अपनी जान गँवानी पड़ रही है। दिल्ली विधानसभा में संकल्प लिया गया की सभी विधायक अपने बच्चों की शादियों में न दहेज लेंगे और न देंगे। साथ ही ऐसी शादियों में भी नहीं जायेंगे जहाँ पर दहेज का लेन-देन हुआ हो।

उन्होंने कहा कि हर 20 मिनट में है और इन हालात को अब बदलना मौत दहेज के चलते हो रही है। को खत्म करना हमारा नैतिक और ऐसी शादी में नहीं जाना चाहिए साथ ही, ऐसे लोगों को सम्मानित के शादी करते हैं। उन्होंने एक बेहद सादगी के साथ मंदिर में शादी की। ऐसे लोगों को समाज के सामने लाना चाहिए ताकि समाज को प्रेरणा मिल सके। कपिल मिश्रा ने

मांग थी। उन्होंने बताया कि वह खासी नौकरी करती थी। उसकी के चलते यह रिश्ता टूटने के कगार उसने मौत को गले लगा लिया।

एक महिला अपनी जान गंवा रही ही होगा। बीमारी से कहीं ज्यादा उन्होंने प्रस्ताव किया कि इस बुराई सामाजिक दायित्व है और अब हमें जहां दहेज लिया-दिया जाता है। करना चाहिए जो बिना दहेज उदाहरण दिया कि एक लड़के ने

बताया कि उन्होंने अपने मंत्रालय को कहा है कि बिना दहेज के शादी करने वालों को सम्मानित करने के लिए कोशिश शुरू की जाए।

इस मौके पर डिप्टी स्पीकर बंदना कुमारी ने कहा कि उनकी शादी में दहेज का एक भी रुपया नहीं दिया गया था और वह शपथ लेती हैं कि उनके बच्चों की शादी भी बिना दहेज के ही होगी। साथ ही अपने क्षेत्र में उन समारोहों का बहिष्कार करेंगी, जहां पर दहेज का आदान-प्रदान होता है। आप विधायक अलका लांबा ने इस मौके पर भी कहा कि वह भी दहेज की बुराई का शिकार रही है और उन्होंने इस बुराई के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। लांबा ने सरकार को सुझाव दिया कि सामूहिक विवाह समारोहों का आयोजन कराया जाये। ■



जस्टिस खेत्रपाल बनीं दिल्ली की लोकायुक्त

दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने दिल्ली के लोकायुक्त का पद संभाला

दिल्ली हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रेवा खेत्रपाल ने दिल्ली के लोकायुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। 17 दिसंबर को उपराज्यपाल नजीब जंग ने उन्हें राजनिवास में आयोजित एक समारोह में लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। उनका कार्यकाल पांच साल का होगा।

न्यायमूर्ति खेत्रपाल ने 1975 से 1991 तक दिल्ली उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में वकालत की। वर्ष 1991 में उनकी नियुक्ति अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश के रूप में की गई। वर्ष 2006 में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायापीठ में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 2007 में वह स्थायी न्यायाधीश बन गई।

जस्टिस मनमोहन सरीन के नवंबर 2013 में सेवानिवृत्त हो जाने के बाद से दिल्ली में लोकायुक्त की कुर्सी खाली थी। लोकायुक्त नहीं होने से हजारों मामलों की सुनवाई लंबित पड़ी हुई है। माना जा रहा है कि नई लोकायुक्त के सामने जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की भी लंबी फेहरिस्त होगी।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने जनलोकपाल बिल-2015 विधानसभा से पारित कर दिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री भी आते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन जब तक इसे मंजूरी नहीं मिलती, तब तक पुराने लोकायुक्त कानून के तहत की कामकाज होगा। ■



हिट हुआ 'कार फ्री डे'

दिल्लی सरकार की ओर से हर महीने की 22 तारीख को आयोजित होने वाले कार फ्री डे को भारी समर्थन मिल रहा है। 22 दिसंबर को आयोजित तीसरे कार फ्री डे पर भी जनता ने भरपूर उत्साह दिखाया। निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन से विकास मार्ग के बीच सिर्फ साइकिलें नजर आईं। इस साइकिल रैली का नेतृत्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। बीमार होने की वजह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रैली में शामिल न हो सके।

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने के मकसद से आयोजित किये जाने वाला कार फ्री डे धीरे-धीरे एक जश्न में तब्दील होता जा रहा है। 22 दिसंबर को भी यही मंजर था। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह 8 बजे से ही लोग निर्माण विहार के पूर्वा सांस्कृतिक केंद्र पहुंचने लगे थे। इनमें स्कूली छात्रों की बड़ी तादाद थी। सबको पता था कि इस रास्ते पर कार

नहीं चलेगी, लिहाजा साइकिल चलाने के लुत्फ को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। होर्डिंग्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स के साथ आसपास की कॉलोनियों के लोगों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

सरकार ने इस साइकिल रैली में दिल्लीवासियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था जिसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई। कार फ्री डे की वजह से लोगो को आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए डीटीसी ने कई विशेष बसें चलाईं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने 22 अक्टूबर का पहला व 22 नवंबर को दूसरा कार फ्री डे आयोजित किया था।

परिवहन मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की परेशानी से बचने के लिए कार फ्री डे कारगर अभियान है। इसे लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि वे सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। फिर चाहे महीने में एक दिन



ही सही। कार फ्री डे को लेकर लोगों में उत्साह है। लोग दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में निश्चित ही एक साल में बहुत फर्क पड़ेगा। सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि अगले विश्व कार फ्री डे (22 सितंबर 2016) तक दिल्ली में इस अभियान को इतना मजबूत बना दिया जाए कि सड़कों पर इसका असर दिखने लगे। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से बसें लाने की तैयारी कर रही है। ■

‘कार-मोह’ का नुकसान

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में जाम के लिए कार सबसे अधिक जिम्मेदार है। ट्रैफिक में कारों की हिस्सेदारी करीब 49 प्रतिशत होती है। दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत और ऑटो रिक्शा की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत होती है।

डाक्टरों के मुताबिक सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करने वाले दिनभर में 300 से 500 कैलोरी जला लेते हैं। मेट्रो और बस से सफर करने वाले रोजाना करीब एक हजार कदम पैदल चलते हैं। पैदल चलना दिल के लिए भी लाभदायक माना गया है जो रक्तचाप को नियंत्रित रखने के अलावा हृदय को भी मजबूत रखता है।

सीआरआरआई की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया गेट के पास कस्तूरबा गांधी मार्ग पर रोजाना 2226 किग्रा ईंधन की बर्बादी होती है। वहीं इस सड़क पर 6,442 कि.ग्रा कार्बन का उत्सर्जन होता है। सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के सर्वे के अनुसार दिल्ली के रोजाना दस करोड़ रुपये ट्रैफिक जाम की वजह से जाया होते हैं।

इंडियन सोसाइटी ऑफ साइक्रायटिक के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली का हर तीसरा व्यक्ति एक महीने में औसतन आठ से दस घंटे ट्रैफिक जाम में बिताता है। जाम मानसिक तनाव को बढ़ाता है। वहीं सेंटर फार ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार औसतन एक आदमी के प्रतिदिन डेढ़ घंटे ट्रैफिक की वजह से खराब होते हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल जाते हुए बच्चे दो से चार घंटे के सीधे प्रदूषण के संपर्क में होते हैं। कार का मोह छोड़कर प्रदूषण कम करने के मुहिम शुरू की जा सकती है। लर्ग्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक अध्ययन के अनुसार यदि प्रदूषण का स्तर इतना ही बना रहा तो अगले पांच साल में बच्चों को मुंह में मास्क लगाकर स्कूल जाना होगा। प्रदूषण सीधे रूप से उनके फेफड़े को प्रभावित कर रहा है।



दिल्ली की सरहद पर वैट की आँख!

दिल्ली का 'वैल्यू एडेड टैक्स' या वैट डिपार्टमेंट शानदार प्रयोगों की मिसाल कायम करता जा रहा है। 'रेड राज' खत्म करने वाले इस विभाग की नजर अब बाहर से माल लाने के काम में हो रहे गोरखधंधे पर है। विभाग ने दिल्ली की सरहदों पर कैमरे की नजर ऐसी गाड़ियों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है जिनसे बिना बताये माल लाकर दिल्ली में बेचा जाता है। इस काम में उसका मददगार है एएनपीआर यानी 'ऑटोमेटिक नंबरप्लेट रीडर कैमरा' !

दरअसल, डीएस-2 यानी 'दिल्ली सुगम-2' वह फार्म है जिसे भरकर व्यापारी को बताना होता है कि वह किस ट्रक से, किस दिन, कितना और क्या माल दिल्ली में ला रहा है। इस फार्म के आधार पर वैट की गणना की जाती है। अक्सर देखा गया है कि कुछ व्यापारी बिना यह फार्म भरे ही माल ले आते हैं जिसका मकसद वैट

की चोरी करना होता है। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचता है। वैट विभाग की टीमों जब ट्रकों की जांच-पड़ताल करती हैं तो इस चोरी का पता चलता है।

लेकिन यह संभव नहीं है कि चौबीस घंटे ऐसी निगरानी की जा सके। वैट विभाग ने इसका तोड़ तकनीक से निकाला है। विभाग ने केंद्र के ट्रांसपोर्ट विभाग से माल ढोने की अनुमति वाले ट्रकों के नंबर का डाटा हासिल कर लिया है। इसे डीएस-2 फार्म से मिले आंकड़ों से जोड़ दिया गया है। चेकपोस्टों पर लगाये गये कैमरों की नजर जैसे ही नंबर प्लेट पर पड़ेगी, विभाग के कंट्रोल रूम को यह पता चल जाएगा कि इस नंबर की गाड़ी ने डीएस-2 भरा है या नहीं। गाजीपुर चेकपोस्ट पर इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया है। दिल्ली की सीमा पर करीब दस जगह ऐसे कैमरे लगाये जाएंगे। देश में यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है। ■

दुकानों के कंप्यूटर में वैट का सॉफ्टवेयर!

रसीद न देना, या फिर उपभोक्ता को फर्जी रसीद देकर टैक्स चोरी करना, एक आम शिकायत है। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से इस पर रोका लगाई जा सकती है। दिल्ली के वैट विभाग ने इस दिशा में अहम पहल की है। वैट विभाग ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित कराया है जो प्रतिष्ठानों के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे वहाँ होने वाली बिक्री की पूरी जानकारी अपने आप विभाग को मिलती रहेंगी और टैक्स चोरी की गुंजाइश खत्म होगी।

फिलहाल दिल्ली में मशहूर 'सागर रत्ना' रेस्टोरेंट श्रृंखला में इसका प्रयोग हो रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तमाम और जगहों पर इसका प्रयोग होने लगेगा। मतलब आपको दुकान से जो रसीद मिलेगी वह वैट विभाग भी देख सकेगा। यानी टैक्स चोरी की गुंजाइश खत्म।



2016 में 'सिग्नेचर ब्रिज' का तोहफ़ा

के जरीवाल सरकार साल 2016 में दिल्ली को सिग्नेचर ब्रिज का तोहफा देगी। कुतुब मीनार से भी ऊंचा यह ब्रिज दिल्ली की नई पहचान बनेगा। इस अद्भुत और अत्याधुनिक शिल्प परियोजना के पूरे होने का इंतजार पूरी दुनिया को है।

यूँ तो यह ब्रिज कई सालों से बन रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद निर्माणकार्य ने काफी गति पकड़ी है। उम्मीद है कि मार्च 2016 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। बढ़ते परिवहन का बोझ को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने उत्तर-पूर्व दिल्ली में वजीराबाद पुल के ऊपर सिग्नेचर ब्रिज बनाने का फैसला किया था

'सिग्नेचर ब्रिज' कुतुबमीनार से दोगुनी ऊंचाई के टावर पर झूलेगा। ब्रिज की नींव का काम पूरा होने के करीब है। कुल 18 में से 16 खम्बों की नींव का काम पूरा हो गया है। मुख्य टावर को वजीराबाद बैराज के सामने दो विशाल खंबों पर खड़ा किया जाएगा। ये टावर 150 मीटर ऊंचे स्टील के बनेंगे। टावर को बांधने के लिए दो बड़े फाउंडेशन वेल बनाए गए हैं। टावर का सारा भार ये फाउंडेशन वेल ही संभालेंगे। टावर के केबलों को इन फाउंडेशन वेल में बांधा जाएगा। टावर के साथ-साथ यमुना पर बनने वाले पुल की चौड़ी 250 मीटर होगी जिसमें 8 लेन होंगी। ब्रिज को केबल के तारों की सहायता से तैयार किया जाएगा। पूरे सिग्नेचर ब्रिज की लम्बाई

675 मीटर होगी। मुख्य पुल से पश्चिमी तरफ 100 मीटर क्षेत्रफल को पर्यटकों के गंतव्य के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

इस ब्रिज के मूल टावर (तोरण और डेक गार्डर) स्टील से बनेगा, जिसका निर्माण चीन में किया जा रहा है। ब्रिज के लिए तोरण और इस्पात गार्डरों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस ब्रिज के निर्माण की जिम्मेदारी गैमन इंडिया को दी गई है।

यह कंपनी ब्राजील की इंडाडे व इटली की तानसेचाई कंपनी के साथ संयुक्त उपक्रम में इस पुल का निर्माण कर रही है। यह पुल ट्रांस यमुना क्षेत्र को बाहरी व उत्तरी दिल्ली से जोड़ेगा।

दिल्ली का 'सिग्नेचर ब्रिज' देश का ऐसा पहला ब्रिज होगा जिसके बीच के सिरे के एक तरफ का बैलेंस 18 मोटी केबलों से सधा होगा। उसके नीचे कोई पिलर नहीं होगा और दूसरी ओर मात्र चार केबलें होंगी। यह पूरा ब्रिज स्टील का बना हुआ और तारों से झूलता हुआ होगा।



अत्याधुनिक तकनीक से बन रहा यह ब्रिज पूरी तरह से भूकंपरोधी होगा। ब्रिज के बीचोंबीच बनने वाले मेहराब की ऊंचाई 154 मीटर होगी और उसके ऊपर विशेष प्रकाश व्यवस्था होगी, ताकि रात में वह दूर से भी दिखाई दें।

दूसरे चरण में, यह ऐसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जहां पर्यटक पुल देखने तो आयेंगे ही, साथ ही एमफी गैलरी, जल क्रीड़ा और नौका विहार का आनंद भी ले सकेंगे। यह ब्रिज फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बेहतर साबित होगा।

पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा कहते हैं कि राजधानी आने वाले पर्यटकों को 2016 में, कैलीफोर्निया और शंघाई की तरह दिल्ली में भी गगनचुंबी टावर पर आकर्षक सिग्नेचर ब्रिज लहराता दिखाई देगा। इस ब्रिज को सिग्नेचर नाम इसलिए दिया गया है कि जिस तरह सिग्नेचर किसी व्यक्ति की पहचान होता है ठीक उसी तरह यह ब्रिज दिल्ली की पहचान होगा। ■





दिल्ली के अस्पतालों में सभी दवाएँ मुफ्त!

सरकार ने दिल्ली के लोगों को नये साल पर एक बड़ा तोहफा दिया है। अब दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को वे सारी दवायें मुफ्त और अनिवार्य रूप से मिलेंगी जो डॉक्टर उनके लिए लिखेंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान करते हुए कहा कि मरीज को अगर कोई दवा नहीं मिलती तो वह इस बाबत जारी हेल्पलाइन नंबर पर डाक्टर के पर्चे की तस्वीर व्हाट्स एप करेगा। जानकारी मिलते ही उन दवाओं की तुरंत व्यवस्था की जाएगी जो स्टॉक में मौजूद नहीं होंगी।

मुख्यमंत्री ने यह अहम ऐलान 11 जनवरी को किया था और योजना की शुरुआत करने के लिए 1 फरवरी की तारीख तय की थी। इस बीच तमाम जरूरी तैयारियां की गई हैं। सरकार के निर्देश के मुताबिक अस्पतालों में तीन महीन का एडवांस स्टॉक रखने का सिस्टम लागू

हुआ। सरकार ने दवाओं के साथ मेडिकल कंज्यूमेबल आइटम भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था जिस पर अमल किया गया।

दिल्ली के अस्पतालों में दवायें मरीजों को पहले भी दी जाती थीं, लेकिन तमाम दवाओं को अनुपलब्ध बता दिया जाता था। इसलिए मरीजों को कुछ दवायें मिलती थीं तो कई नहीं मिल पाती थीं। केजरीवाल सरकार ने ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिससे मरीजों को लगे कि दवाएँ पाना उनका अधिकार है। सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता की जांच को भी काफी महत्वपूर्ण माना है। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए पूरे सिस्टम को पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड किया गया।

नियम के मुताबिक सरकार 'जेनेरिक दवाएँ' ही उपलब्ध कराती है जिसकी लिस्ट सीपीए (सेंट्रल पर्चेज अथॉरिटी) ने तैयार की है। सरकार ने तमाम अस्पताल अधीक्षकों



‘अब तक सिस्टम खराब होने की वजह से मरीजों को दवा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है जिससे लगभग 100 पर्सेंट दवा उपलब्ध होंगी। कभी-कभार एक दो पर्सेंट दवा नहीं हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मरीज को हर दवा मिले’

—अरविंद केजरीवाल

से विचार-विमर्श करके दवाओं की एक नई लिस्ट तैयार की। डाक्टर इस लिस्ट के बाहर की दवाएं नहीं लिख सकते। सरकार का कहना है कि अगर कोई नई दवा बाजार में आएगी तो डाक्टरों की टेक्निकल कमेटी इसका परीक्षण करेगी। कमेटी की सिफारिश होने पर ही दवा को खरीद लिस्ट में डाला जाएगा।

दवाइयों के बाहर बिकने की संभावनाएँ न रहें, इसके लिए दवाइयों का ब्योरा कम्प्यूटर में रखा जाएगा और किसी भी दवाई के न होने पर हेल्पलाइन फोन नंबर पर फोन अथवा व्हाट्सएप संदेश भेजकर तकनीकी कमेटी को सूचित किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि

सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होने से घपले की संभावना नहीं होगी और दवाइयों को बाहर बेचे जाने से रोका जा सकेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अस्पताल में न दवाओं की कमी होगी, और न डॉक्टरों की। हाँ, अस्पताल खुद दवाएँ नहीं खरीद सकेंगे। दवा खरीद का अधिकार सिर्फ सेंट्रल परचेज अथॉरिटी को होगा। हालांकि किसी आपात स्थिति में दवा अथवा आवश्यक ऑपरेशन आदि का सामान खत्म होने पर अस्पताल के अधीक्षक भी उन्हें खरीद सकेंगे।



26 जनवरी, शान हमारी !

- 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया गया।
- लाहौर अधिवेशन में तय किया गया कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को 'पूर्ण स्वराज दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।
- 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इससे पहले संविधान सभा ने 25 नवंबर 1949 को इसे मंजूर कर लिया था।
- डा. भीमराव अंबेडकर संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्हें ही भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
- संविधान बनाने में दो साल, 11 महीने और 18 दिन लगे।
- 26 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इर्विन स्टेडियम में झंडा फहराया गया। इस पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो।
- 1950 से 1954 के बीच गणतंत्र दिवस समारोह कभी इर्विन स्टेडियम, कभी किंग्स वे, कभी लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में आयोजित किया गया।
- राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाने की परंपरा 1955 में शुरू हुई। पहली बार राजपथ पर परेड हुई। इस वर्ष मुख्य अतिथि थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद।
- गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति राजपथ पर आयोजित भव्य समारोह में तिरंगा फहराते हैं। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। भारत की शक्ति और वैभव को प्रदर्शित करने वाली 26 जनवरी की परेड को देखने के लिए विदेशियों में भी काफी उत्साह रहता है। इस परेड को देखने के लिए लोग भारत के कोने-कोने से दिल्ली पहुँचते हैं। ■





‘ਆਡ-ਈਵਨ’ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਦਿੱਲੀ !

ਅਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਆਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ਅਤੇ 15 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਆਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2, 4, 6, 8,

10, 12 ਅਤੇ 14 ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਜਾਮ ਘਟ ਲਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਰਿਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੋਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਪੂਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ

ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਜ਼ੀਰ – ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ



ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਹਨ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਡ-ਈਵਨ” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਜ਼ੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ। ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਯਾਤਾਯਾਤ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ।

ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਸ ਤੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 15 ਤਾਰੀਕ ਦੇ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਧੂ ਬਸਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਵੀ ਫੇਰੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ

ਅਸੰਕਾਵਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਦਫਤਰ ਖੁਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚਰਮਰਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।

4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁਲ 22.8 ਲੱਖ ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਤੇ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ



ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਆਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10,000 ਤੋਂ 30,000 ਤਕ ਸਲਾਨਾ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ।

ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 20 ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 13 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ, ਕਤਰ ਦਾ ਇਕ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸੀ।

ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਕੁਲੇਟ ਮੈਟਰ (ਪੀਐਮ) 2.5 ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ 150 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦਾ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦਾ 15 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐਮ 2.5 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ 45 ਤੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੀਐਮ 2.5 ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਆਪਟੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।”



ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਫਾਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਰ-ਪੁਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਮੁਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੀਐਮ 2.5 ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਅਤੇ ਕੋਹਰੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ 2008 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਜਦ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੋਹਮਤ ਝੱਲ ਰਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ■

ਫੇਸਬੁਕ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ

1. **ਓਮ ਥਾਨਵੀ (ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਜਨਸਤਾ)**-ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਸੁੰਧਰਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਰ 30 ਮਿੰਟ ਵਿਚ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 10.20 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, 10.50 ਤੇ ਆਈਆਈਸੀ। ਨਾ ਮਯੂਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਫਸਿਆ, ਨਾ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ। ਬਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀੜ ਸੀ, ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਾ। ਤਾਂ ਭਰਾਵੇ, ਕੋਣ ਦਿਲਜਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇ ਗਾ ? ਪਤਾ ਚਲ ਚੁਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ (ਸਹਿਸ਼ਣੁਤਾ ਨਾਲ) ਪੜਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਲਗਾਮ ਸੁਝਾਉ।
2. **ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ (ਸੀਨੀਅਰ ਪਤਰਕਾਰ)**-ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਡ-ਈਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. **ਸੰਜੀਵ ਪਾਲੀਵਾਲ (ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ, ਲਾਈਵ ਇੰਡੀਆ)**-ਖਾਲੀ ਸੜਕ, ਕੋਈ ਹੋਰਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ।
4. **ਅਸਦ ਜੈਦੀ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ)** ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕਲ ਗੁੜਗਾਂਵ ਤੋਂ ਓਖਲਾ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਕਰੀਬ ਅਠ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਗੁੜਗਾਂਵ ਆ ਗਏ। ਐਸਾ ਲਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ। ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ

ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਨਾ ਥੇ ਰੂਚੇ, ਔਰੋਂ ਕੇ ਮੁਸਵਿਰ ਥੇ
ਜੋ ਸਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਡ-ਈਵਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ 'ਜਨ-ਗਣ-ਮਨ' ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ 'ਜਨ ਗਨ ਮਨ' ਵਿਚ ਅਧਿਨਾਯਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ

ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਚਯਿਤਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 'ਕਾਮਨਸੈਂਸ' ਦੀ ਕਮੀ' ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਵਿਚ 'ਅਧਿਨਾਯਕ' ਸ਼ਬਦ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਬਚਕਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਾਂਗਲਾ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੰਜ ਪਦਾਂ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਦ ਗੋਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ:-

ਪਤਨ-ਅਭਯੁਦਯ-ਵਨਪੁਰ ਪਨਕਾ, ਯੁਗ ਯੁਗ ਧਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀ।

ਹੇ ਚਿਰ ਸਾਰਥੀ, ਤਵ ਰਥ ਚਕ੍ਰੇ ਮੁਖਰਿਤ ਪਥ ਦਿਨ ਰਾਤਰੀ।

ਦਾਰੂਨ ਵਿਪਲਵ-ਮਾਝੇ ਤਵ ਸੰਘ ਧਵਨੀ ਬਾਜੇ ਸੰਕਟ ਦੁਖ ਤ੍ਰਾਤਾ।

ਜਨ ਗਨ ਪਥ ਪਰਿਚਾਯਕ ਜਯ ਹੇ ਭਾਰਤ ਭਾਗਯ ਵਿਧਾਤਾ ਜਯ ਹੇ ਜਯ ਹੇ, ਜਯ ਹੇ, ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਹੇ।।

ਇਸ ਬੰਦ ਵਿਚ ਇਕ 'ਭੀਸ਼ਨ ਵਿਪਲਵ' ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਗੋਰ 'ਭਾਗਯਵਿਧਾਤਾ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚਿਰ ਸਾਰਥੀ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਟੈਗੋਰ ਐਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬੇਹਦ ਆਹਤ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।

19 ਮਾਰਚ 1939 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਪੂਰਵ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ-

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰਜ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਚਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ।'

ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਮਨੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 10 ਨਵੰਬਰ 1937 ਨੂੰ ਪੁਲਿਨ ਬਿਹਾਰੀ ਸੇਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ-"ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਮੈਂ 'ਜਨ-ਗਨ-ਮਨ' ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗਯਵਿਧਾਤਾ ਦੀ ਜਿਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯੁਗੋਂ-ਯੁਗੋਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰੇ ਉਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਥ ਦੀ ਲਗਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਥਾਮੇ ਹੋਏ ਹੈ। 'ਨਿਯਤਿ ਦਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ' 'ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਤੂਤੀ ਗਾਇਕ', 'ਸਾਰਵਕਾਲਿਕ ਪਥਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ' ਕਦੇ

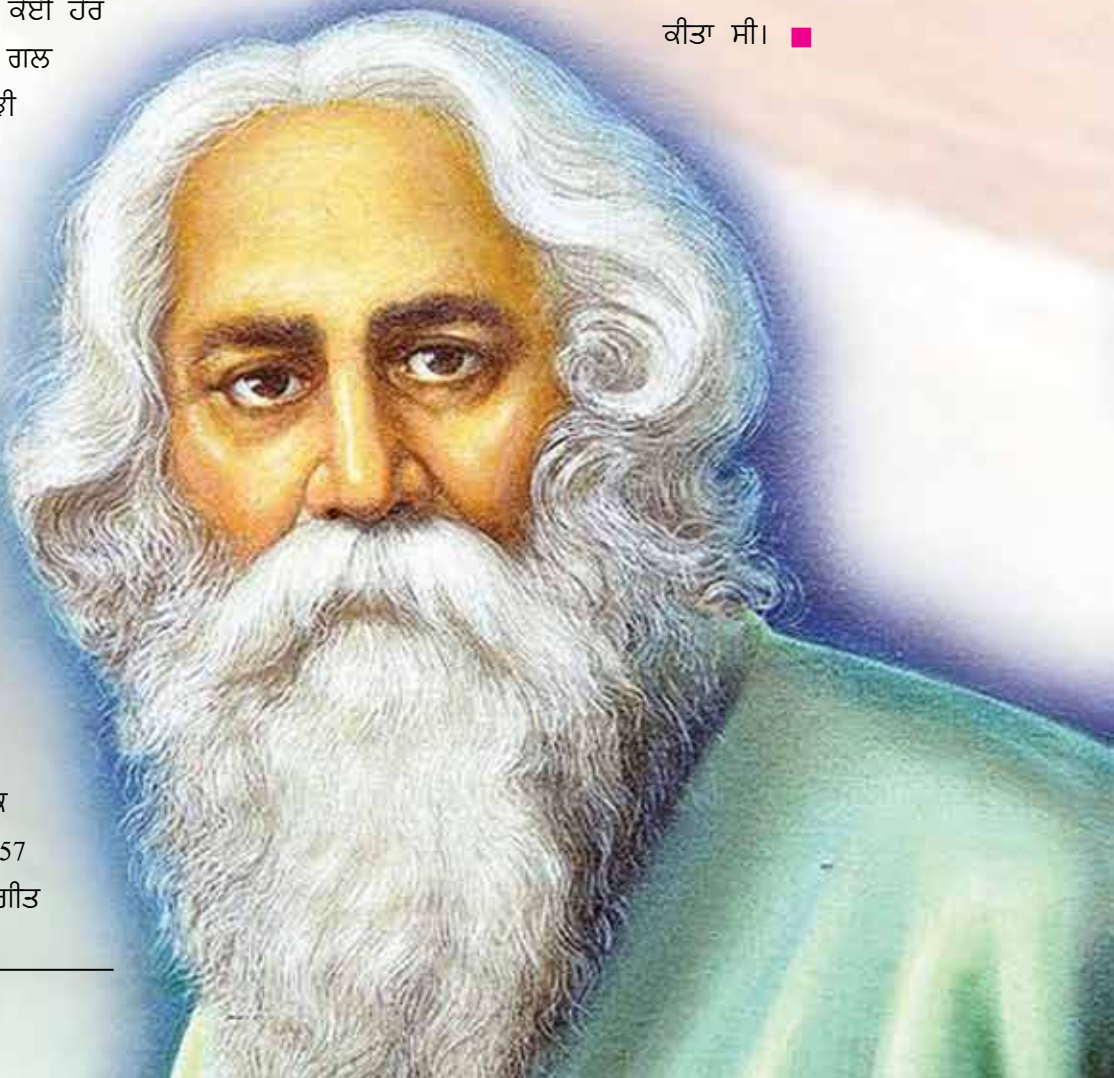
ਵੀ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ, ਜਾਰਜ ਛੇਵੇਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਲ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝੀ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਹਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਮਨ ਸੋਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਟੈਗੋਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿਚ 1911 ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ 1905 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਬਵੰਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਜੋ ਗੀਤ

ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਭੁਜਾ ਦੱਤ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ "ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ" ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਜਨ-ਗਨ-ਮਨ ਵੀ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਥੋਂ ਹੋਈ।

ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨ-ਗਨ-ਮਨ' ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਘਟ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਲ ਭੁਲਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 'ਜਨ-ਗਨ-ਮਨ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ

ਵੀ ਸਮਾਨ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ■





ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜੰਗ- ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਂ ਪਾਸ !

ਦਿਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਸ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠੀ। ਵਾਕੇ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢੋਲ-ਨਗਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਥੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁਕ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ

ਉਠੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਦ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦੇ 49 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। 4 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ-2015 ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜੰਗਾ ਪਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਗੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਯਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ ਸਿਧ ਹੋਣ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤਕ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ■

ਦਿੱਲੀ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ-2015

- ▶ ਇਹ ਬਿਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।
- ▶ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਗਿਆਨ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
- ▶ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।
- ▶ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
- ▶ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 12 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ▶ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਸਿਕਯੂਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇਗਾ।
- ▶ ਸਮੇਂਬਧ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬਧ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਮੁਕਦਮਾ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
- ▶ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ▶ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਟ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
- ▶ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰਕ ਕੈਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
- ▶ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗੇਗਾ।
- ▶ ਉਥੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਗ ਜੇਕਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
- ▶ ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
- ▶ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
- ▶ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ।



ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ! ਬਦਲੇਗੀ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ !

ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ

ਆ ਮਾਅਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਤਾਪੂਰਨ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ 2015 (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਬਿਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) 2015 ਬਿਲ

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਿਆ (ਦਿੱਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇ ਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵਸਥ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖੁਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਿਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ

‘ਨੋ ਡਿਟੇਸ਼ਨ’ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ !

‘ਨੋ ਡਿਟੇਸ਼ਨ’ ਯਾਨੀ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।

2011-12 ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ, ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋਏ।

2012-13 ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ, ਸਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋਏ।

2013-14 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਾਧਾਰਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ, ਸਤਵੀਂ ਦੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ ਹੋਏ।

ਯਾਨੀ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਤਵੀਂ ਅਤੇ ਸਤਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ।

ਸਮਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕੈਪਿਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਸਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਤੇ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨੂੰ

ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ 5

ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਸ ਲਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਲਾਸ ਅਠ ਤਕ ‘ਨੋ ਡਿਟੇਸ਼ਨ’ ਇਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਸ ‘ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ’ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ■



ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ 'ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ' ਖਤਮ



ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਰਸਰੀ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰੇ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ-ਛੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਮਾਂਸਾਹਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਿਗਰੇਟ-ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰੀਬ 62 ਪੈਮਾਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਖਾਲੀ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਸਮਾਪਤ



ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੇ ਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ■

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਰੀ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਕਟ ਲਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।



ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੈਅ ਵਕਤ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ !

ਦਫਤਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ



ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ (ਸਮੇਂਬਧ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨਾਥ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿਲ, 2015 ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਵਕਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕਾਵਾਂ ਦੇ

ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਤ ਦਸਿਆ।

ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ

ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ

- ▶ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
- ▶ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ
- ▶ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ
- ▶ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ
- ▶ ਜੋ ਅਫਸਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 200 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾ

ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਅਫਸਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਵਾਰਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਮੁਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਸਜਾ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਨ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਲੋਕਪਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿਸਾ ਸੀ। ■

ਸੋ ਮੈਂ ਸੱਤਰ ਆਦਮੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਬ ਨਾਸ਼ਾਦ ਹੈ ਦਿਲ ਪਰ ਰਖਕਰ ਹਾਥ ਕਹੀਏ ਦੇਸ਼ ਕਯਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ !



ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦਮ ਗੋਂਡਵੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਧੂਰਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਵੀ ਦ ਪੀਪੁਲ' ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਹੂ ਦ ਪੀਪੁਲ' ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਕ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ 60-70 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਵੀ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਣ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਲਫ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜਨ ਚਾਰਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਸੇਟੀ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।

ਹਮ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਖੁਦਾਰੀ ਸੇ ਭਰ ਦੇਗੇ
ਝੁਕਾਣੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸਰ, ਵੋਹ ਦਰ ਹਟਾ ਦੇਗੇ !

سو میں ستر آدمی فی الحال جب ناشاد ہے دل پر رکھ کر ہاتھ کھیٹے دیش کیا آزاد ہے

یہ مشہور عدم گوند وی کا شعر ہے جس سے نائب وزیر اعلیٰ منیش سودیا نے ودھان سبھا میں سیٹرن چارٹر بل پیش کرتے ہوئے پڑھا انہوں نے کہا کہ یہ قانون آئین میں ادھورا پن دور کرنے کیلئے ضروری ہے۔ آئین کی شروعات ”دی دی پپیل“ سے ہوتی ہے۔ لیکن جب عام آدمی سرکاری دفتر جاتا ہے تو یہ ”ہودی پپیل“ میں بدل جاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ متاثرہ سیٹرن چارٹر قانون لاگو ہونے سے عام آدمی کو محسوس ہوگا کہ دہلی میں اس کی سرکار ہے صرف چناؤ کو لوک تنتر کہہ دینا ناگجی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری بھی جانتی ہے کہ سرکاری ملازمینوں پر کتنا بوجھ ہے۔ ایک ایس ڈی ایم کے پاس ہر مہینے قریب ساڑھے بارہ سو سرٹری فٹ بنانے کا کام ہوتا ہے۔ یعنی ساڑھے ستر سرٹری فٹ روز۔ وہ فیلڈ تحقیق کر کے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کئی کام ہوتے ہیں۔ یہ غیر مبہل ہے۔ اس لئے سرکار نے پہلے دستاویزوں کے سیلف ایٹس ٹیشن کا قانون لاگو کیا۔ اس کے بعد سیٹرن چارٹر لاگو کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اچھا کام کرنے والے افسروں کے حوصلہ افزائی کا بھی قانون ہے۔ ہم پہلے موافق ماحول بنا رہے ہیں۔ پھر سختی کریں گے۔ کسوٹی ایک ہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کی سرکار نے افسر عام آدمی کے خدمت گار بن کر رہیں۔ اسے آفیسروں، ایم ایل اے، یا وزیروں کا چکر نہ کرنے پڑے۔

ہم سارے شہر کو خودداری سی بھر دیں گے
جھکانے پڑتے ہیں جہاں سروہ در ہٹا دیں گے

جرمانہ دیا جاسکتا تھا اب الگ الگ خدمتوں کیلئے معاوضہ ملے گا۔ ساتھ معاوضے کیلئے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو افسر ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کریں گے انہیں فائل میں اور فائنٹیل دونوں کے طرح کے ایوارڈ دیا جائے گا۔

دہلی ودھان سبھا میں ترمیمی دہلی سیٹرن چارٹر بل پیش کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ منیش سودیا نے کہا کہ موجودہ سیٹرن چارٹر میں سزا کے جو انتظام تھے وہ اتنے معمول تھے کہ اس سے کام کا ج پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے لاگو ہونے کے چار سال بعد بھی ایک شخص کو اس قانون کا فائدہ نہیں ملا اور نہ ہی اس کے تحت ایک بھی افسر یا ملازم کی تنخواہ کاٹی گئی۔ ابھی بھی لوگ اس جیسی شکایت لیکر آرہے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رشوت خوری رک نہیں پارہی ہے۔ لوگوں کو اسی کام کیلئے اتنی چکر لگوائے جاتے ہیں کہ وہ پریشان ہو کر رشوت کے لئے مجبور ہو جائیں۔ سسٹو دیا نے کہا کہ متاثرہ سیٹرن چارٹر لوک پال تحریک کا سب اہم حصہ تھا۔ ■

بل میں کیا ہے خاص:

- نچلی سطحی تک رشوت خوری بند کرنے میں مدد ملے گی۔
- یہ آئین کی پالیسی ہدایت نامہ اصل بنیادوں کو صحیح معنی میں عمل میں لانے کی پھل ہے۔
- غلط طریقے سے خدمت دینے سے منع کرنا بھی جرم ہوگا۔
- الگ الگ خدمتوں کیلئے الگ الگ معاوضہ ملے گا۔
- جو افسر ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کریں گے انہیں اقتصادی حوصلہ افزائی اور قابل تعریف اسناد دی جائیگی۔

کس افسر کی تنخواہ کاٹی جائے۔ پچھلے قانون میں معاوضے کا انتظام بہت مضحکہ خیز تھا۔ اس میں دیری کے معاملے میں روزانہ کے حساب سے 10 روپے اور زیادہ سے زیادہ 200 روپے تک

سٹیزن چارٹر بل منظور

دہلی والوں کو ملا طے وقت میں خدمت پانے کا حق

دفتر کا چکر لگوانے والے افسروں پر لگے گا جرمانہ



لئے بھی جگہ نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ اروند کچری وال نے اس ترمیمی قانون کو بدعنوانی کے خلاف سرکاری بڑی جیت بتایا۔ سٹیزن چارٹر سے جڑے اس ترمیمی قانون میں انتظام ہیکہ اگر کسی شخص کے سرکاری دفتر سے جڑے کام میں دیری ہوتی ہے تو اسے معاوضہ دیا جائیگا یہ معاوضہ متعلقہ شخص کو فوراً مل جائے گا۔ پھر محکمہ یہ ذمہ داری طے کرے گا کہ اس غلطی کیلئے

دہلی کے عوام کو اب کسی دفتر میں اپنے کام کے لئے گڑگڑانا نہیں پڑے گا۔ ودھان سبھا کے سرمائی اجلاس میں دہلی (طے وقت سیوا پر دان ناگرک حق) ترمیمی قرارداد 2015 باہمی کوشش سے منظور کر دیا گیا۔ اس قانون کے بن جانے سے عوام کو طے وقت پر سیوائیں نہ دینے والے افسروں پر کارروائی ہوگی، یعنی طے وقت میں سیوائیں مہیا لوگوں کا قانونی حق ہوگا۔ اس قانون کی وجہ سے رشوت خوری کی تمام اندیشوں کے



کو ٹا ختم کرنا اُسی سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔ جب ایڈمیشن کی شفاف انتظام ہوگی تو کسی کو شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور نہ ہی کسی کو یہ احساس ہوگا کہ اس کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کچری وال نے بتایا کہ اگلے سال سے اسکولوں میں پوری طرح آن لائن داخلے کی طریقہء کار اپنانے کی کوشش کی جائے گی۔ ■

‘سرکار نے اپنے ہاتھ کاٹے’

دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کچری وال نے کہا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں نرسری داخلے کے لئے منیجمنٹ کو ٹا ختم کر کے سرکار نے اپنے ہی ہاتھ کاٹ لئے ہیں کیوں کہ اب اسکولوں میں داخلے بنا کسی سفارش سے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا تو کارکن داخلے کے لئے سفارش کرنے پر زور دیتے۔ لیکن سرکار نے شفاف انتظام قائم کئے ہیں۔ اس کا اسکولوں کے کام کاج میں دخل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ منیجمنٹ کو ٹا کا استعمال سیاسی رہنماؤں، سرکاری آفیسروں اور طاقتور لوگوں کو احسان مند کرنے کے لئے کیا جاتا تھا۔ اس کے ختم ہونے سے قریب 50 فیصد زیادہ سیٹیں عام آدمی کو مل گئی ہے۔



نرسری سے منیجمنٹ کو ٹا ختم



جیسے کچھ نے طے کیا کہ جن کے ماں۔ باپ مانساہاری ہوں گے، یاسگریٹ۔ شراب پیتے ہوں گے انہیں داخلے نہیں ملے گا۔ سرکار نے ایسے قریب 62 پیمانے ختم کر دئے۔ وزیر اعلیٰ ارونڈ کچری وال نے واضح کیا کہ سرکار اسکولوں کی آزادی میں دخل نہیں دینا چاہتی، لیکن دہلی کے بچوں کو بنا پریشانی کے ایڈمیشن ملے، یہ بھی اس کا فرض ہے۔ دراصل، اسکولوں پر نمنا نی کرنے سے لے کر بدعنوانی تک کے تمام الزام لگتے تھے خالی بچی رہ گئی سیٹوں کو منیجمنٹ کو ٹا کے نام پر بھرا جاتا تھا۔ تمام سرپرستوں کا الزام ہے کہ اس کے لئے کافی بڑی رقم وصولی جاتی تھی۔ وزیر اعلیٰ ارونڈ کچری وال کا واضح ماننا ہے کہ داخلہ ہر بچے کا حق ہے۔ سرکار کا فرض ایسی انتظام بنانا ہے جس سے کو بھی بچہ داخلے سے محروم نہ رہ جائے۔ منیجمنٹ

ہر سال جنوری میں بچوں کے نرسری داخلہ کے لئے پریشان دہلی کے سرپرستوں کی تصویر اب گزرے زمانے کی بات ہوگی۔ کچری وال سرکار نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے اسکولوں میں منیجمنٹ کو ٹا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے خود اس فیصلے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اب عام بچوں کے لئے اسکولوں کی 75 فیصدی سیٹیں موجود ہوں گی۔ غریب بچوں کے لئے 25 فیصدی سیٹوں کا کو ٹا پہلے کی طرح جاری رہے گا۔

دہلی سرکار کا یہ اعلان ایک بڑی راحت مانا جا رہا ہے۔ دراصل منیجمنٹ کو ٹے کے نام پر طرح طرح کے گھپلے کے الزام لگتے تھے۔ دہلی سرکار نے دسمبر میں اسکولوں سے کہا تھا کہ داخلے کے پیمانے وہ خود طے کریں اور ویب سائٹ پر ڈال دیں، لیکن کچھ اسکولوں نے ایسے پیمانے طے کئے، جن کا کوئی اور چھو رہی ہی تھا۔

’نوڈٹیشن‘ سے ہوا نقصان !

”نوڈٹیشن“، یعنی فیل نہ کرنے کی پالیسی پر سوال یوں ہی نہیں اٹھ رہے تھے۔ ایجوکیشن کی خوبیاں خراب ہونے کی بات کئی سروے سے ثابت ہوئی تھی۔

2011-12 میں چھٹی کلاس کے عام امتحان میں دہلی کے سرکاری اسکولوں کی چھٹی کلاس میں 14 فیصدی، ساتویں میں 14 فیصدی اور آٹھویں میں 12 فیصدی طلباء فیل ہوئے۔

2012-13 میں چھٹی درجہ کے 18 فیصدی، ساتویں درجہ کے 16 فیصدی اور آٹھویں درجہ کے 13 فیصدی طلباء فیل ہوئے۔

2013-14 میں ہوئے عام امتحان میں چھٹی درجہ کے 25 فیصدی، ساتویں کے 24 فیصدی اور آٹھویں کے 21 فیصدی طلباء فیل ہوئے۔ یعنی فیل نہ کرنے کی وجہ سے چھٹی سطح کا علم نہ ہونے سے ساتویں سطح کا علم نہ ہونے پر طلباء آٹھویں تک پہنچ گئے۔ پھر نویں درجہ میں پہنچے تو اچانک ان پر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا۔ اساتذہ کو بھی نہیں پتہ تھا کہ نئی واقعہ سے کیسے نمٹیں۔ ان کے ٹریننگ کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ وہیں طلباء کے فیل ہونے کی فکر نہیں رہ گئی تو سرپرست بھی لا پرواہ ہو گئے۔

دی گئی۔ نہ طلباء تناسب ٹھیک کیا گیا۔ بس ”عظیم سوچ“ مانتے ہوئے فیل نہ کرنے کی پالیسی لاگو کر دی گئی۔ اس کے لئے طلباء تیار تھے نہ اساتذہ اور نہ ہی سرپرست۔ اس لئے سرکار نے سوچا کہ پہلے اساتذہ کو ٹریننگ دی جائے۔

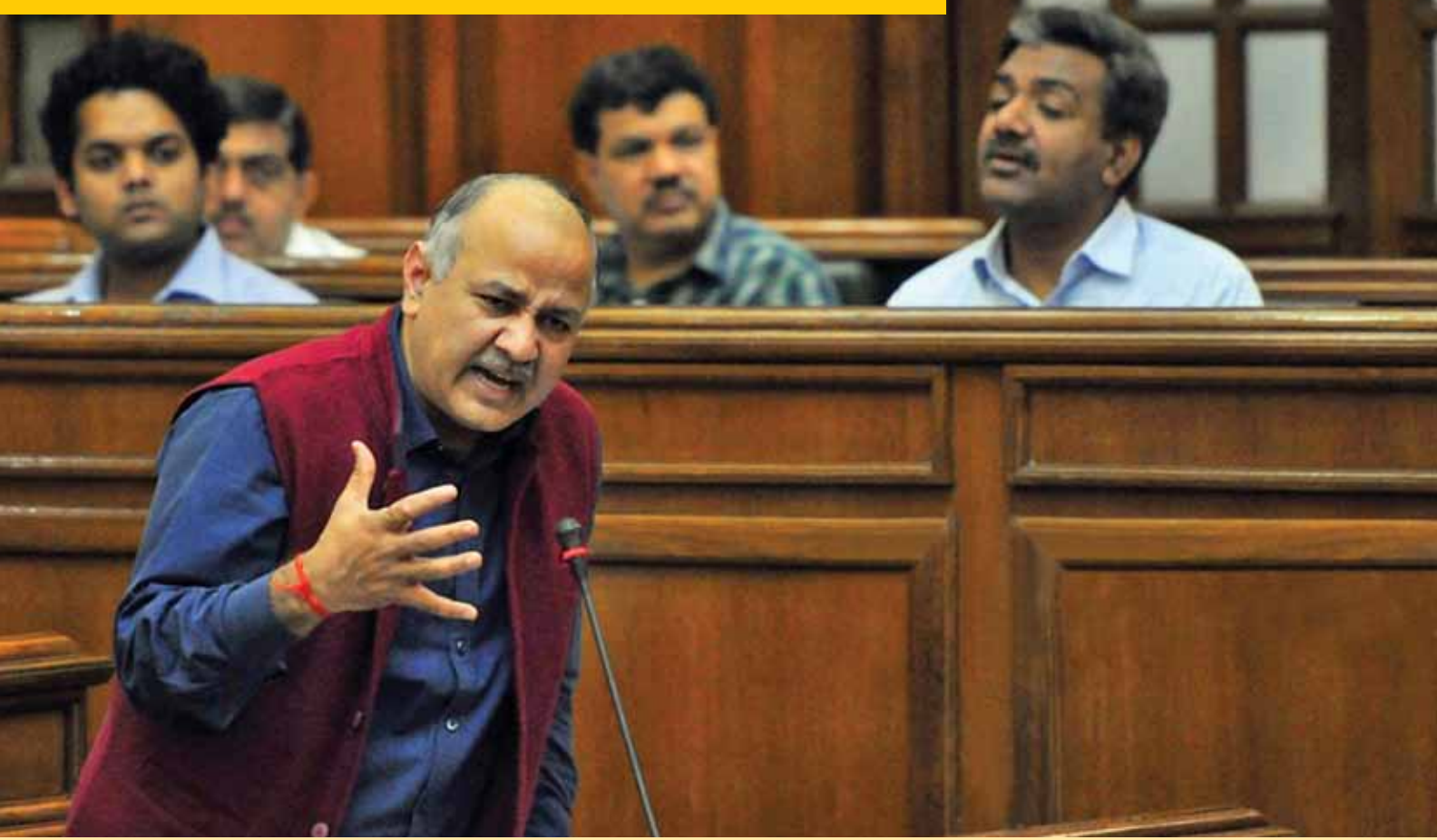
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ابھی آٹھویں تک کسی کو فیل نہ کرنے کی پالیسی کی وجہ سے نویں درجہ میں اچانک بہت دباؤ جاتا ہے۔ بڑے پیمانے پر نویں درجہ میں بچے فیل ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی بچوں کی بنیاد مضبوط کی جائے۔

سکتے ہیں۔ ہر ایک پرائیویٹ اسکول سرکاری انتظام کے مطابق اپنے اساتذہ کا ادائیگی خود کرے گا۔ اس تعلق میں ایک سمیتی سمجھاؤ دے گی اور سمیتی کے ذریعہ مقررہ قاعدے کا تعیل اسکول کو کرنا ہوگا۔

دہلی اسکول ایجوکیشن (بدلاؤ) قرارداد کے مطابق اسکول میں ایڈمیشن کے لئے انٹرویو لینے پر اور کمپنیشن فیس چارج لینے پر مختلف درجوں میں سزا کیا جا سکتا ہے۔ اسمبلی میں پاس ہوئے اس قرارداد کے مطابق پہلی بار قانون کی خلاف ورزی کرنے پر متعلقہ اسکول کو 5 لاکھ کا جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے۔ جب کہ بار بار قانون کی خلاف ورزی کرنے پر دس لاکھ کا جرمانہ دینا پڑے گا۔

ودھان سبھا میں بل پیش کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودی نے کہا کہ سرکار نہیں چاہتی کہ کسی کو فیل کیا جائے۔ درجہ آٹھ تک ”نوڈٹیشن“ ایک اچھی پالیسی ہے۔ لیکن بناوٹ پر تیار یوں کو لاگو کی گئی اس پالیسی کے بُرے نتیجے آئے ہیں۔ اس لئے دوبارہ غور کی ضرورت ہے۔ دنیا کے زیادہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی وگیان، حساب، زبان وغیرہ چیزوں میں بے روک ٹوک اگلی درجہ میں بھیجنے کی پالیسی طے نہیں ہو پائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو نہ درسی کتابیں بدلی گئیں، نہ ہی اساتذہ کو نئی ٹریننگ





پڑھنا ہوگا! پڑھنا نا ہوگا!

بدلے گی فیل نہ کرنے کی پالیسی!

ایڈمیشن کے لئے انٹرویو پر روک، اساتذہ کو دینا ہوگا مقررہ تنخواہ

اور بچوں کے لئے فری اور ضروری تعلیم (دہلی بدلاؤ) قرارداد شامل ہے۔ دہلی کے سی ایم اے اور نند کچری وال نے اس تاریخی قدم بتاتے ہوئے کہا کہ یہ تین قرارداد اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی سرکار ایجوکیشن کو لے کر بہت سنجیدہ ہے۔ ایجوکیشن سرکار کی اعلیٰ ترجیح ہے۔ بدعنوانی ختم کرنے کے لئے بہتر ایجوکیشن ہی واحد ذریعہ ہے۔ بالآخر ہمارا مقصد شہر میں بچے کو تعلیمی اور صحتی کرنا ہے۔

سی ایم کچری وال نے کہا جو لوگ ایمانداری سے اپنا اسکول چلانا چاہتے ہیں وہ سرکاری نظام کے ساتھ جڑ

عام آدمی پارٹی کی سرکار نے دہلی کی ایجوکیشن انتظام میں مخصوص بدلاؤ کے لئے کمر کس لی ہے۔ اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ودھان سبھا کے سرمائی اجلاس میں تین اہم بل پاس کئے گئے۔ تاکہ طلباء کو بہتر تعلیم ملے۔ اساتذہ کو بہتر ٹریننگ ملے۔ اور پرائیویٹ اسکولوں کی من مانی پر روک لگے۔

دہلی ودھان سبھا میں پاس ان قراردادوں میں دہلی اسکول 2015 (حساب اور زائد فیس قرارداد کی واپسی کی تصدیق) دہلی اسکول ایجوکیشن (بدلاؤ) 2015 قرارداد

والے بدعنوانی کے خلاف دہلی سرکار کا روائی کر سکتی ہے۔ اگر پولیس کسی مرکزی وزیر پر لگے الزام پر کارروائی کر سکتی ہے تو دہلی سرکار کیوں نہیں کر سکتی۔ جن لوگ پال بل پاس کرنے سے پہلے لاکھوں روپے کی جانب سے ملے بھٹاؤں کو شامل کرتے ہوئے کچھ بدلاؤ بھی کئے گئے۔ اس بل کے تحت دہلی کے وزیر اعلیٰ بھی آئیں گے اور چھ مہینے میں جانچ مکمل کر کے چھ مہینے میں ہی ٹرائل بھی پورا ہوگا۔ لوگ پال کے پاس اپنی جانچ ایجنسی ہوگی۔ الزام صحیح ثابت ہونے پر 10 سال سے لے کر عمر قید تک کی سزا کا انتظام ہے اور سرکار ری خزانے کو ہونے نقصان کا پانچ گنا تک وصولا جاسکے گا۔

اس موقع پر وزیر اعلیٰ اروند کچری وال نے کہا کہ ان کی سرکار رہے یا نہیں، لیکن دہلی میں ایک ایسا قانون ضرور رہے گا جو بدعنوانی کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا اگر مرکزی سرکار اس قانون کی راہ میں اڑنکا ڈالے گی تو وہ عوام کی سہیوگ کے ساتھ نیا آندولن چھیڑیں گے۔ انہوں نے بل کو کمزور بتانے والوں کو چنوتی دی کہ بی جے پی اور کانگریس اپنے زیر انتظام صوبوں میں اس مذکورہ کمزور قانون کو ہی لاگو کر کے دکھائیں۔

مرکزی سرکار کے ملازمین اور وزیروں کو اس قانون کے دائرے میں لائے جانے پر سوال اٹھانے والوں کو وزیر اعلیٰ نے کرارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون اجازت دیتا ہے کہ دہلی کی حد میں ہونے

دہلی جن لوک پال بل 2015

- یہ بل دہلی کی حد میں ہونے والے کسی بھی بدعنوانی کی جانچ اور کارروائی کے لئے ہے۔
- عام لوگوں کی شکایت پر، سوترو سنکیان لے کر اور سرکار کی طرف سے شکایت آنے پر جانچ ہو سکے گی۔
- لوک پال کا پنا ایک انویسٹی گیشن ونگ ہوگا
- جانچ کے لئے دیگر محکموں اور آفیسروں کی مدد لی جاسکے گی۔
- جانچ کو کم سے کم 6 مہینے کے اندر پورا کرنا ہوگا۔ دیگر خاص معاملوں میں یہ طے وقت کم سے کم 12 مہینے تک ہو سکتی ہے۔
- لوک پال کا اپنا پراسیکیوشن ونگ ہوگا۔
- وقت مقررہ میں جانچ اور وقت مقررہ میں مقدمہ لوک پال کی سب سے بڑی طاقت ہے۔
- رشوت سے کمائی گئی جائیداد کو ضبط کرنے کا اختیار ہوگا۔
- رشوت میں شامل پبلک سرونٹ کو معطل کرنے اور ٹرانسفر کرنے کا اختیار ہوگا۔
- اس کے تحت کم سے کم سزا عمر قید کی ہے۔ اس کے علاوہ 6 مہینے سے 10 سال تک کی سزا کا انتظام ہے۔ سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ کا بھی انتظام ہے
- اونچے عہدہ پر بیٹھے لوگ اگر کرپشن کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو ان کو سخت سزا دینے کا اہتمام ہے۔
- نجی کمپنیوں کے کرپشن کے معاملے میں ان کے اعلیٰ افسران کو ڈنڈت کرنے کا اختیار ہے۔
- بدعنوانی اجاگر کرنے والے کی سیکورٹی اور ان کو پراسٹیکشن سے بچانے کا اختیار لوک پال کے پاس ہے۔
- بدعنوانی اجاگر کرنے والے کی جان کو اگر خطرہ ہے تو اس کی پہچان راز میں رکھی جائے گی۔



بد عنوانی کے خلاف تیز ہوئی جنگ

جن لوک پال بل ودھان سبھا سے منظور

تین سال پہلے بدعنوانی کے خلاف اٹھی آندھی کی سب سے بڑی مانگ تھی جن لوک پال قانون کی، اس سے جڑے بل کو اپوزیشن نے ودھان سبھا میں پیش نہیں ہونے دیا تو اردوند کچری وال کی سرکار نے 2013 میں سرکار گٹھن کے 49 دن بعد استعفیٰ دے دیا تھا اس بار پھر اپوزیشن نے تحریک جن لوک پال بل پر تمام سوال اٹھائے لیکن سرکار نے صاف کر دیا کہ وہ ہر حال میں اس تجویز کو پاس کرے گی اور ویسا ہی ہوا۔ 4 دسمبر 2015 کو جن لوک پال بل 2015 کو دہلی ودھان سبھا سے پاس کر دیا۔

دہلی ودھان سبھا نے سرمائی اجلاس میں جن لوک پال بل پاس کر کے نئی تاریخ رقم کی۔ عام آدمی پارٹی کا قیام جس سہنے کو لے کر ہوا تھا اسے عملی جامہ پہنائے جاتے وقت ودھان سبھا انقلاب زندہ بار کے نعے سے گونج اٹھی۔ واقعی یہ ایک جذباتی لمحہ تھا جس کا اکثر سدن کے باہر بھی نظر آ رہا تھا۔ ڈھول۔ نگاڑوں کے بیچ وہاں کثیر تعداد میں جمع لگوں نے وزیر اعلیٰ اردوند کچری وال کو کندھے پر اٹھا کر جشن منایا۔

جو گیت گائی گئی تھی وہ دراصل راج بھوجا دت چودھری نے لکھا ”بادشاہ ہمارا“ تھا لیکن چونکہ کانفرنس کی شروعات میں جن - گن - من بھی گایا گیا تھا اس لئے دوسرے دن کچھ انگریزی اخباروں کی رپورٹ میں شائع کی گئی کہ سمرٹ کی استقبال میں ٹیگور کی لکھی گیت گائی گئی۔ شک کی شروعات یہیں سے ہوئی۔

وقت کے ساتھ ہی بدگمانی سیاسی وجہوں سے بڑھایا گیا، یہ شائع کیا جاتا رہا کہ وندے ماترم راشٹر یہ گان ہونا چاہئے تھا لیکن جن - گن - من کو یہ درجہ دیا گیا جو انگریز سمرٹ کے استقبال میں لکھا گیا تھا۔ درحقیقت یہ بتانا تھا کہ آزاد بھارت کو ملا پنڈت نہرو کی قیادت کم راشٹر وادی تھا اور اس نے اصل راشٹر وادیوں کے بے عزت کرنے کے لئے ایسا کیا۔ یہ بات بھلا دی جاتی ہے کہ 24 جنوری 1950ء کو جب ڈاکٹر راجندر پرساد نے پارلیمنٹ کے سامنے جن - گن - من کو قومی گیت اعلان کیا تھا تو اپنے بیان میں وندے ماترم کو بھی برابری کا درجہ دینے کا اعلان کیا تھا۔

ٹیگور کی دل و دماغ کی حالت کا کچھ انداز 10 نومبر 1937ء کو پولن بھاری سین کو لکھے ان کے خط سے بھی چلتا ہے۔ انہوں نے لکھا - ”میرے ایک دوست جو سرکار کے بڑے آفیسر تھے نہ مجھ سے جارج پنجم کے استقبال میں گیت لکھنے کی گزارش کی تھی اس تجویز سے میں تعجب میں پڑ گیا۔ اور میرے دل میں اتھل پتھل مچ گئی اس کی اظہار خیال میں، میں نے جن - گن - من میں بھارت کے اس بھاگیہ ودھاتا کی وجہ کی اعلان کی جو یوگوں - یوگوں سے اُتار - چڑھاؤ بھرے ابھڑکھڑ راستوں سے گزرتے ہوئے بھارت کے رتھ کی لگام کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ نیتی کا ”وہ دیوتا“ ”بھارت کی ساموہک چیتنا کا تعظیسی گیت کا سروکالک پتھ پر درشک کبھی بھی جارج پنجم، جارج پنجم، یا کوئی دیگر جارج نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میرے دوست نے بھی سمجھی تھی۔ سمرٹ کے تئیں اس کی عزت حد سے زیادہ تھی۔ لیکن اس میں کامن سینس کی کمی نہ تھی۔

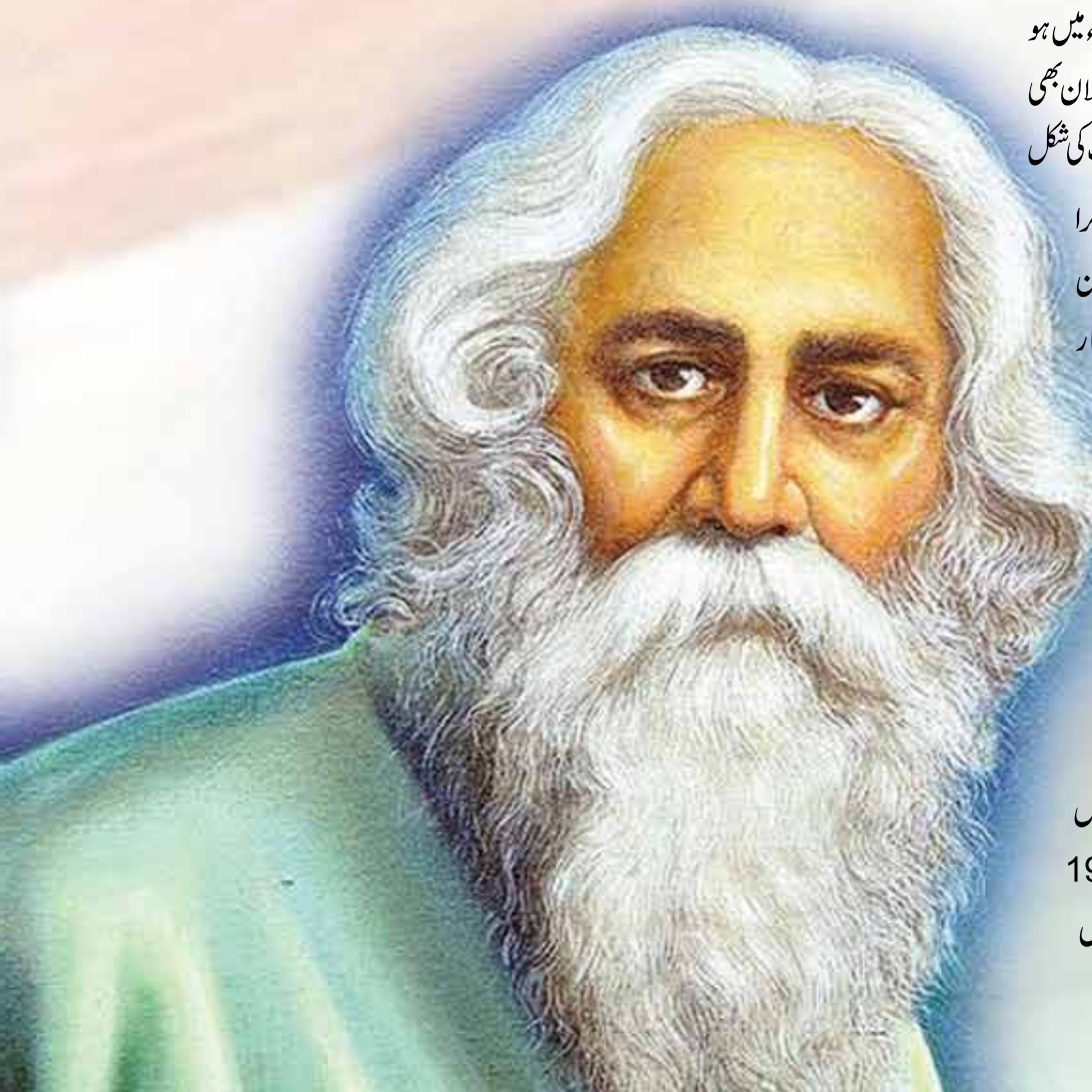
ٹیگور اس خط میں 1911ء کی یاد کر رہے ہیں۔ جب جارج پنجم کا

بھارت آمد ہوا تھا۔ اسی سکتا تھا 1905ء میں ہوئے بنگال کی تقسیم کے فیصلے کو رد کرنے کا اعلان بھی ہوا تھا۔ بنگال کے تقسیم کے بعد سودیشی تحریک کی شکل

میں ایک بونڈر پیدا ہوا تھا۔ 1857ء کی کرا نیتی کی ناکامی کے بعد یہ پہلا بڑا آندولن تھا جس نے پورے ملک کو ہلا دیا تھا۔ آخر کار

انگریزوں کو جھکنا پڑا تھا۔ اس وقت کانگریس مول ترو مادھیہ ورگ کی پارٹی تھی جو کچھ قانونی طور طریقے کے ذریعے بھارتیوں کے تئیں آزادی کی مانگ کر رہی تھی۔ ایسے میں تعجب نہیں کہ بنگال تقسیم رد کرنے

کے فیصلے کے لئے سمرٹ کے تئیں استقبال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 27 جولائی 1911ء کو اس کانفرنس میں سمرٹ کی استقبال میں



’جن۔ گن۔ من‘

قومی توازن جن۔ گن۔ من، ادھینا یک کسے کہا گیا ہے۔ اسے لیکر اکثر تنازعہ کھڑا کیا جاتا ہے، کئی لوگ بار بار یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ گیت برطانیہ کے راجا جارج پنجم کے استقبال میں لکھا گیا تھا۔ حالانکہ

ٹیگور کے مطابق قومی گیت میں ”ادھینا یک“ لفظ ملک کی عوام اس کا اجتماعی بصیرت یا پھر وہ قادر مطلق ہے جو صدیوں سے بھارت کے کارروں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ مول روپ سے سنسکرت شٹھ بنگلہ میں لکھے اس پانچ مصرعوں کے لے گیت کا تیسرا مصرعہ غور کر نے لائق ہے۔

پتن۔ اہمپیو دیہ۔ وندھور پنتھا، گیگ گیگ دھاوت یا تری
ہے چر سار تھی، تب رتھ چکرے مکھرت پتھ دن راتری
دارون وپلو۔ ماجھے تب سنکھ دھونیہ باجے
سنکٹ دکھ تراتا

جن گن پتھ پر پتھس یک جئے ہو بھارت بھاگیہ ودھاتا
جئے ہے جئے ہے۔ جئے ہے، جئے جئے جئے جئے جئے ہے
اس بند میں ایک ”زیادہ بغاوت“ کی تمنا کر رہے ٹیگور بھاگیہ ودھاتا،
کے شکل میں کم سے کم جارج پنجم کی بات نہیں کر سکتے۔ نہ انگریز
سمراٹ کلپنا بھارت کی ”چر سار تھی“ کر روپ میں کی جاسکتی ہے۔
ظاہر ہے ٹیگور ایسے الزام سے بے حد پریشان تھے۔ وہ اس کا جواب
دینا بھی اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ 19 مارچ 1939ء کو انہوں
نے ”پورو“ میں لکھا ---

’اگر میں ان لوگوں کو جواب دوں گا جو سمجھتے ہیں کہ میں انسانیت کے تاریخ کے زیرِ انتظام کی شکل میں جارج چتر تھ پنجم کی خوشی میں گیت لکھنے کی بیکراں نادانی کر سکتا ہوں تو میں اپنی ہی بے عزتی کروں گا۔



ماننا ہے کہ دہلی سرکار نے اگر یہ اسکیم نہیں شروع کی ہوتی تو جنوری میں حالات خطرناک ہوتے۔

اس اسکیم کو روکنے کے لئے دہلی ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا تھا لیکن عزت مآب عدالت نے اس یوجنا میں دخل دینے سے انکار کر دیا۔

غور طلب ہے کہ چین کی راجدھانی بیجنگ میں طاق-جفت والی ٹریفک انتظام 2008 سے ہی لاگو ہے۔ چین میں اسے کچھ کچھ وقتوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ مثلاً جب بیجنگ میں آلودگی کی سطح بڑھتی ہے تو اس کا نوں کو لاگو کیا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے آلودہ شہر کی تہمت جھیل رہی دہلی میں ایسے کسی بہتر منصوبے کے استعمال کی سخت ضرورت تھی جسے کجری وال سرکار نے کیا۔ عوام سے ملی تعاون بتاتا ہے کہ وہ ایسے تمام منصوبوں کے لئے تیار ہے جو دہلی کی آلودہ ہو چکی آلودہ کو پوری طرح بدل سکے۔ ■

میں پورا تعاون دیا۔ یہی نہیں۔ اس اسکیم نے عوام کے بیچ اپنے شہر کو لے کر ایک جوش و خروش بھی دیکھنے کو ملا۔ بچوں سے لے کر عام لوگ تک اس اسکیم میں تعاون دینے کی اپیل کرنے نظر آئے۔ بہت دن بعد کسی سرکار نے ایسی یوجنا پیش کی جس پر گھر گھر بحث ہوئی اور مان گیا کہ یہ عام عوام اور دہلی کی بہتری کے لئے ہے۔ ”کارپولنگ“ کے غور و خوض نے عام لوگوں کی جذبات کو بھی بڑھایا۔ لوگوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تال میل بنانے کی ضرورت محسوس کی جو مہانگر یہ زندگی میں کمزور پڑتا جا رہا ہے۔

15 دنوں کے اس مہم کے بیچ آلودگی گھٹنے کے اشارے صاف طور پر ملے۔ خاص طور پر اندرونی دہلی کی ہوا کی بہتری میں کافی سدھار نظر آیا۔ اس کے خطرناک آلودگی پی ایم 2.5 میں کافی کمی آئی۔ مانا جاتا ہے کہ اگر ٹھنڈا اور کھرے کا موسم نہ ہوتا تو آلودگی اور بھی تیزی سے کم ہوتی وہیں ماحولیات تجزیہ کاروں کا

فیس بک پر کچھ نامی ہستیوں ردِ عمل

1. **اوم تھانوی** (سابق ایڈیٹر جنرل سٹا) یہ تو مزہ ہو گیا وسندھرا سے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر 30 منٹ میں۔ پیر کو 10.20 پر نکلا 10.50 پر آئی آئی سی۔ نہ میور وہار پر پھنسا، نہ اکشر دھام، پرگتی میدان یا انڈیا گیٹ پر۔ بس ہائی کورٹ کے سامنے بھیڑ تھی، جو سڑک پر پارک گاڑیوں کی وجہ سے وہاں ہمیشہ رہتی ہے۔ بہر حال۔ تو بھائیو، کون دل جلاتا تھا جو کہتا تھا کہ پیر کو پتہ چلے گا؟ پتہ چل چکا۔ اسے یہ پوسٹ (توجہ سے) پڑھ کر اس کی زبان کو لگام بٹھاؤ۔

2. **ونود دوا** (سینئر صحافی) میں دو پہر سے دہلی کی سڑکوں پر گھوم رہا ہوں، طاق-جفت فارمولہ پوری طرح کامیاب ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے پولیس قانون کو سو فیصدی لاگو کرے اور آلودگی کے دیگر سطحوں پر بھی قابو پایا جائے۔

3. **سنبھو پالیوال** (بیجنگ ایڈیٹر لائیو انڈیا) خالی سڑک، کوئی ہارن نہیں نہ کوئی جھگڑا، دہلی کی سڑکیں اتنا سکون دیں گی کس نے سوچا تھا۔

4. **اسد زیدی** (مشہور شاعر) ہم اپنی طاق نمبر والی کار سے گڑگاؤں سے اوکھلا گئے اور تمام جگہوں پر جھومتے ہوئے قریب آٹھ گھنٹے میں واپس گڑگاؤں آگئے ایسا لگا جیسے 1990 کے دہک کے بیچ کی سڑکیں ہو، میر تقی میر کا شعر یاد آ رہا تھا کہ

دہلی کے ناتھے کوچے اوروں کے مصورتھے

جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی

امید کرتا ہوں کہ طاق-جفت کی یہ نیتی پندرہ جنوری کے بعد بھی لاگو رہے گی۔ ساتھ ہی کچھ علاقوں کو بھی دھیرے دھیرے پوری طرح کارفری اعلان کر دیا جائے گا۔

آلودگی سے دہلی میں روزانہ 80 لوگوں کی موت

طاق۔ جفت فارمولے کی کامیابی نے آلودگی کی روک تھام کو لے کر نئی امید جگائی ہے۔ عالمی صحت آرگنائزیشن یعنی ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ نے پچھلے سال دہلی کو دنیا کا سب سے آلودہ شہر بتایا تھا۔ رپورٹ کے مطابق دس ہزار سے تیس ہزار تک سالانہ موتوں کی اصل وجہ دہلی کی آلودگی ہے۔ ڈبلیو ایچ او نے دنیا کی 20 سب سے آلودہ شہریوں کی فہرست جاری کی تھی۔ جس میں تیرہ بھارت کے شہر ہیں۔ ان میں راجدھانی دہلی سب سے اوپر ہے اس کے بعد پٹنہ، رائے پور اور گوالیار کا نمبر آتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تین، بنگلہ دیش کے دو، قطر کا ایک اور ایران کا ایک ایک شہر بھی اس فہرست میں تھا۔

اس رپورٹ کے مطابق دہلی میں زیادہ تر موت دل کی بیماری اور اسٹروک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دہلی کی ہوا میں پارٹیکولیٹ میٹر (پی ایم) 2.5 کی مقدار فی گھنٹہ 150 مائیکرو گرام ہے۔ یہ مقررہ حد کا چار گنا اور ڈبلیو ایچ او کی طے شدہ حد کا بندرہ گنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پی ایم 2.5 پر قابو پا کر دہلی میں آلودگی کی وجہ سے ہونے والی موتوں کو 45 سے 85 فیصدی تک کم کیا جاسکتا ہے۔

دنیا بھر میں ماحولیاتی آلودگی کی تفصیل لیتی اس رپورٹ میں چین اور بھارت پر خاص دھیان دیا گیا ہے رپورٹ کے مطابق اگر پوری دنیا عالمی صحت آرگنائزیشن کے قانون کے مطابق آلودگی کی سطح کو کم کرے تو ہر سال 21 لاکھ لوگوں کی جان بچائی جاسکتی ہے۔ موجودہ موت کی شرح کو برقرار رکھنے کے لئے بھارت اور چین کو پی ایم 2.5 کی مقدار 20 سے 30 فیصدی گھٹانی ہوگی حالانکہ اس کے بعد یہ دونوں ملک ڈبلیو ایچ او کی حد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ رپورٹ کے چیف قلم کار اور ٹیکساس یونیورسٹی کے پروفیسر جوشوا آپٹے کا کہنا ہے ان ملکوں کی آبادی بوڑھی ہو رہی ہے اس لئے ماحولیاتی آلودگی کی وجہ ہونے والی بیماریوں کا اثر اور بھی گہرا ہوگا۔



دہلی نے پیش کی نظیر - گو پال رائے

دہلی کے وزیر ٹرانسپورٹ گو پال رائے نے کہا کہ طاق-جفت اسکیم کو کامیاب بنا کر دہلی کے لوگوں نے ایک نظیر پیش کی ہے۔ اب اس فارمولے کا استعمال ملک کے کئی دوسرے شہر بھی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن نے اسے لے کر خوب اٹکیں لگائی تھیں لیکن چونکا نے والے نتیجے ملے۔ ثابت ہوا کہ یہ آلودگی کم کرنے کا کارگر طریقہ ہو سکتا ہے ساتھ ہی سڑک ٹریفک بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ لوگ اس دوران پہلے کے مقابلے آدھے وقت میں اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔



کہا گیا کی چار جنوری یعنی پیر کو جب دفتر کھلیں گے تو ساری تیار یاں چرما جائیں گی لیکن اس دن بھی دہلی معمولی احساس سے چلتی رہی۔

چار جنوری کوکل 22.8 لاکھ مسافروں نے میٹرو سے سفر کیا جو کی پچھلے پیر کے مقابلے قریب 2 لاکھ زیادہ تھے۔ وزیر اعلیٰ کچری وال نے اس کے لئے دہلی کی عوام کو بار بار مبارک باد دی جس نے آلودگی کے خطرے کو سمجھتے ہوئے اس یوجنا کو کامیاب بنانے

بس سے سفر کیا وزیر ماحولیات عمران حسین ای۔ رکشہ سے دفتر پہنچے۔ سرکار نے پہلے مرحلے میں اسے ایک سے پندرہ تاریخ کے بیچ صبح آٹھ بجے سے شام آٹھ بجے کے درمیان لاگو کیا۔ سرکار نے لوگوں کو پریشانی سے بچانے کے لئے تین ہزار اضافی بسیں اتاریں تھیں۔ ساتھ ہی میٹرو سے بھی پھیرے بڑھانے کی گزارش کی تھی پھر بھی تمام امیدیں ظاہر کی جارہی تھیں شروعات میں تین دن جب یہ یوجنا کامیاب رہی تو





‘طاق-جفت’ کی سخت آزمائش میں کھری اتری دہلی

تاریخ کو جفت والی گاڑیوں کو۔ اتوار کو سبھی گاڑیوں کو سڑکوں پر نکلنے کی چھوٹ تھی یعنی استعمال کے دوران عام دنوں کے مقابلے آدھی ہی گاڑیاں سڑکوں پر اتریں۔ نتیجہ جام کم لگا اور آلودگی سطح میں بھی گراوٹ آئی۔ دہلی کی خصوصی حالات کو سمجھتے ہوئے سرکار نے انتہائی مخصوص لوگوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور فہرستوں میں بھی چھوٹ دی تھی۔ لیکن دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کچری وال اور وزیروں کو اس سے باہر رکھا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ اروند کچری وال کے ساتھ کارپول کرتے نظر آئے تو نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا سائیکل چلا کر دفتر پہنچے، وزیر سیاحت کپل مشرا موٹر سائیکل سے پہنچے، تو سماج کلیان منتری سندھپ کمار

نئے سال کی شروعات کے ساتھ دہلی ایک سخت آزمائش سے گزری۔ یہ آزمائش تھی طاق-جفت فارمولے کی۔ جس میں دہلی پوری طرح کھری ثابت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ اروند کچری وال نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس یوجنا کی کامیابی کا پورا دار و مدار دہلی کی عوام پر ہے اور انہیں ما یوس نہیں ہونا پڑا۔ بڑھتی آلودگی اور سڑک پر اکثر لگنے والے لمبے جام سے نجات دلانے کے لئے دہلی سرکار نے یہ آرزو مندی استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے مہینے کی 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13 اور 15 تاریخ کو طاق نمبر والی گاڑیوں کو سڑکوں پر چلنے کی اجازت دی گئی۔ اسی طرح مہینے کی 2، 4، 6، 8، 10، 12 اور 14

जब भी कुछ खरीदें, बिल जरूर बनवायें

अब आपका बिल दिला सकता है
आपको खरीदारी की राशि का 5 गुना तक इनाम!

जिम्मेदार नागरिकों के लिए
दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण योजना
**'बिल बनवाओ
इनाम पाओ'**



- DVATBILL (डी-वैट बिल) एप गूगल प्ले स्टोर/एप स्टोर से डाउनलोड करें।
- विक्रेता/दुकानदार से खरीद का बिल जरूर लें।
- एप में बिल का विवरण दर्ज करें और बिल की फोटो अपलोड करें।
- लकी ड्रा द्वारा चुने गए व्यक्ति को बिल की मूल राशि का 5 गुना दिया जाएगा।
- लकी ड्रा हर महीने के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा।
- इनाम की राशि 50 हजार रुपये तक।

व्यापार एवं कर विभाग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)



'ऑड-इवन' को सफल बनाने के लिए

दिल्ली को बधाई

मुख्य अतिथि
अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

विशिष्ट अतिथि
मनीष सिसोदिया
उप मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार

अध्यक्षता
गोपाल राय
परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार

सत्येन्द्र जैन
स्वास्थ्य मंत्री,
दिल्ली सरकार

कपिल मिश्रा
पर्यटन मंत्री,
दिल्ली सरकार

इमरान हुसैन
स्वाहा एवं आपूर्ति मंत्री,
दिल्ली सरकार

संदीप कुमार
महिला एवं बाल विकास मंत्री,
दिल्ली सरकार



मैं बनाऊंगा
POLLUTION FREE
DELHI

दिल्ली सरकार

आप की सरकार